खण्ड-437, अंक-4
सोमवार, 3 वैशाख, शक संवत् 1923
(23 अप्रैल, 2001 ई0)

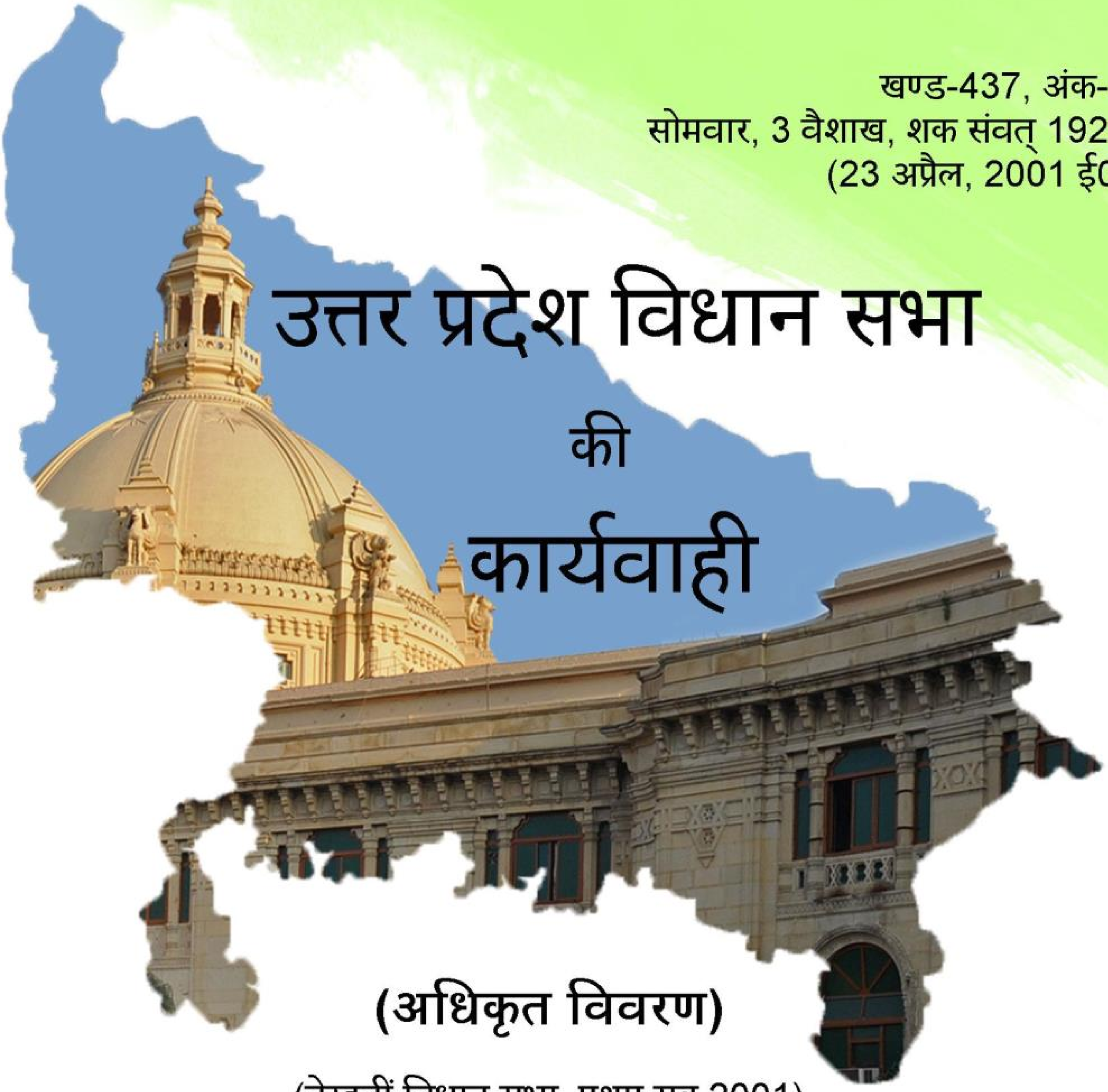

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधान सभा की सदस्यता की शपथ-ग्रहण तथा विपक्ष द्वारा प्रदेश के किसानों की समस्याओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ..	1
प्रश्नोत्तर	2–71
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	71
शिक्षा विभाग के समूह 'ख' से समूह 'क' की पदोन्नति में वरिष्ठ अनु० जाति/ अनु० जनजाति के अधिकारियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के सुधार के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना	72–73
जनपद अम्बेडकरनगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पिच करायी सड़कों में मानक के अनुरूप सामग्री प्रयुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद बांदा के ग्राम लुकतारा एवं ग्राम पथरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा द्वारा अभी तक न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73–74
वादकारियों के हित में सी० डी० आई० कोर्ट की मेरठ में स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद आजमगढ़ के कोतवाली फूलपुर थानान्तर्गत ग्राम असयतपुर की दलित बस्ती में बदमाशों द्वारा डाली गयी डकैती से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास (जारी)	75–76
औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं का स्थगन	76
उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	77
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	77

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) विधेयक, 2001 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	77
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	77
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	77–78
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	78–81
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 ... (पुरःस्थापित) ...	81–82
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 ... (पुरःस्थापित)	82–83
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास	83
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ...	83
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	84–92
नस्थियां	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

1-अब्दुल सलाम, श्री	प्रतापगढ़
2-अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
3-अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
-अनीस खां, श्री	पीलीभीत
-अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
; अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
)-अमर मणि, श्री	महराजगंज
10-अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
11-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
12 अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
13-अशफाक अहमद, श्री	बरेली
14-अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
15 आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
16 आर०के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
17-इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
18-उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
19 ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
20 कमलेश कुमार सिंह, श्री	बलरामपुर
21-कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
22-कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
23 काशी राम, श्री	रामपुर
24 केशो मेहरा, श्री	आगरा
25-कैलाश सिंह राजपूत, श्री	फर्रुखाबाद
26-गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
27 गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
28 गोमती यादव, श्री	लखनऊ
29-गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
30-चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
31 चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
32 चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
33 चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात
34-चौधरी बाबू लाल, श्री	आगरा
35-छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
36 जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
37 जय प्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
38-जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
39-ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
40 ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
41 तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
42-दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
43-धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
44 नन्दराम, श्री	बरेली
45 नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
46-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
47-परवेज हलीम खां, श्री	मेरठ
48 प्रदीप कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
49 प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
50-प्रदीप कुमार यादव, श्री	इटावा
51-प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री	वाराणसी
52 प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
53 फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
54-बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
55-बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
56 बलेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
57 बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
58-ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
59-मंडलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
60 महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
61 महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
62-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
63 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
64 महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर

65 मानिक चन्द यादव, श्री — मैनपुरी
66–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
67–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
68 रंग बहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
69 रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
70–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
71 रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
72 रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
73–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
74–राजधारी, श्री — बलिया
75 राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
76 राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
77–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
78–राजेश कुमार सिंह, श्री — मुरादाबाद
79 राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
80 राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
81–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
82–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
83 राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
84 राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
85–राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
86–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
87 राम बाबू हरित, डा० — आगरा
88 राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
89–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
90–राम सखी, श्रीमती — अलीगढ़
91 राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
92 राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
93–राम हर्ष सिंह, श्री — सुल्तानपुर
94 रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री — मुरादाबाद
95–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
96–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
97 वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
98 विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
99–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
100–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
101 विभूति प्रसाद निषाद, श्री — आजमगढ़
102–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
103–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
104 शिव प्रसाद, श्री — हरदोई
105 शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
106–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
107–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
108 संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
109 सतीश जतारिया, श्री — झांसी
110–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
111–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
112 सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
113 सिंहासन सिंह, श्री — गाजीपुर
114–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
115–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री — सहारनपुर
116 सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
117 सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
118–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
119–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
120 हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
121 हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़

सुर मुद्रण विभाग

सोमवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2001 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधान सभा की सदस्यता की शपथ-ग्रहण तथा विपक्ष द्वारा प्रदेश के किसानों की समस्याओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(सदन के फ्लोर पर प्रेस के लोगों के खड़े रहने व फोटो खींचने पर)

*श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, यह नई परम्परा डाल रहे हैं यह प्रेस वाले यहां पर इस तरह से मुख्य मंत्री जी का फोटो ले रहे हैं ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य जोर-जोर से बोलते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये । जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय राजनाथ सिंह को सदन की सदस्यता की शपथ लेने हेतु आमंत्रित किया गया)

(सदस्यों के जोर-जोर से बोलते रहने पर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने माननीय राजनाथ सिंह को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें । प्रेस के लोग चले जायं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह जो कुछ हो रहा है, सब गलत हो रहा है । यह नई परम्परा डाल रहे हैं ।

(किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे भी लगाये गये)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें । मैं मद संख्या–1 ले रहा हूं ।

(व्यवधान के मध्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०–1 पुकारा गया)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 3 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराने की नीति

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराने के लिये कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खादों को किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिये यूरिया पर मूल्य नियंत्रण योजना के अन्तर्गत उत्पादन स्तर पर अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विनियंत्रित फास्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों को किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार द्वारा इन उर्वरकों पर भी मूल्य सहायता उपलब्ध करायी जा रही है जिससे यह उर्वरक उत्पादन लागत से कम दर पर किसानों को उपलब्ध हो रही है ।

प्रदेश में नहरों की सफाई हेतु समय सारिणी का निर्धारण

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों की सफाई हेतु कोई समय सारिणी निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा उक्त समय सारिणी के अनुसार नहरों की सफाई नहीं की जा रही है ? क्या सरकार इसको सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं । परन्तु सामान्यतः नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य वर्षा ऋतु के बाद एवं रबी की सिंचाई के पूर्व अक्टूबर से जनवरी माह के मध्य किया जाता है ।

उक्तानुसार ।

जी नहीं ।

कोई विशिष्ट दृष्टान्त मिलने पर कार्यवाही हो सकेगी ।

उक्तानुसार ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों की कीमतों पर नियंत्रण एवं उनको लाभकारी मूल्य दिलाने की योजना

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान समय में प्रदेश के किसानों द्वारा पैदा किये गये खाद्यान्न गेहूं, धान, बाजरा, मक्का आदि की कीमतें गिर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

खाद्यान्नों की कीमतों को नियंत्रित करने एवं किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

वर्तमान समय में प्रदेश के किसानों द्वारा पैदा किये गये खाद्यान्न गेहूं, धान, बाजरा एवं मक्का आदि की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई है ।

जी हां, प्रदेश के किसानों को गेहूं व धान का उचित मूल्य दिलाने के लिये भारत सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान व गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर रबी फसल व खरीफ फसल में क्रमशः धान व गेहूं की खरीद प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है ।

रबी फसल 2001-2002 में गेहूं की खरीद विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित कर भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर की जाने की व्यवस्था कर ली गयी है । इसी प्रकार खरीफ फसल के मध्य धान की खरीद भी भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा जनपदों में स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से की गयी है ।

प्रदेश में धान व गेहूं की खरीद सीधे किसानों से किये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में टैम्पों/बसों से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु टैम्पों/बसों में कन्वर्टर लगवाने की मांग

*2–श्री संजय गर्ग–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टैम्पों एवं बसों से वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाने से जनता के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषण को दूर करने के लिए टैम्पों एवं बसों में ''कन्वर्टर'' लगाये जाने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में किसानों से गेहूं एवं अन्य उपज की खरीद करने पर विचार

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल की मड़ाई के बाद किसानों से खलिहानों में जाकर गेहूं एवं अन्य उपज की खरीद करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या खरीददारी में बिचौलियों की भूमिका के निवारण हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

शासन के नीति के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदनोपरान्त क्रय एजेन्सियों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद किये जाने की व्यवस्था है ।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

गेहूं खरीद वर्ष 2001-2002 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य रु०-610/- प्रति कुन्तल की दर से गेहूं

खरीद एजेन्सियों के माध्यम से गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसान जोत-बही के आधार पर सीधे किसानों से की जा रही है, ताकि बिचौलियों द्वारा किसानों को शोषण से बचाया जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के अनुज्ञा पत्रों की स्वीकृति हेतु सरकार की नीति

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के अनुज्ञा पत्रों को स्वीकृत करने के लिये सरकार कोई नई नीति बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी नहीं । चूंकि शस्त्र लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्रों पर आयुध अधिनियम एवं आयुध नियमावली, जो केन्द्रीय विधान हैं, के प्राविधानों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है अतः उक्त अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य नई नीति बनाने पर विचार सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में कानून/व्यवस्था की स्थिति में सुधार हेतु अपेक्षित पुलिस बल में वृद्धि की मांग

*2 श्री गोरखनाथ पाण्डेय

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिये अपेक्षित पुलिस बल उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने पुलिस बल में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं । पुलिस बल की कमी महसूस की जा रही है ।

प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत नवीन पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण पदों के सृजन के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध के कारण सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में सरकार द्वारा नयी कन्ट्रोल की दुकानों के आवंटन पर रोक लगाये जाने का औचित्य

*3–श्री उदयराज यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की नयी दुकानों के आवंटन पर सरकार द्वारा कोई रोक लगा दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त नये आवंटन पर रोक लगाये जाने के कारण प्रदेश में चीनी व मिट्टी के तेल की कालाबाजारी बढ़ी है ? उक्त नये आवंटन को रोके जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार नयी कन्ट्रोल की दुकानों का आवंटन प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सरकारी सस्ते गल्ले की नई दुकानों के आवंटन पर दिनांक 8-2-2000 द्वारा रोक लगा दी गई थी ।

जी, नहीं ।

शासनादेश दिनांक 27-3-99 द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के चयन में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करते हुए वरीयता/श्रेष्ठ उपयुक्तता के आधार पर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तरह राशन की दुकानों के आवंटन में सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता था, इसलिए राशन की दुकानों के चयन पर रोक लगा दी गई थी ।

प्रदेश के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 4-1-2001 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गत वर्ष बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना

*4 श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2000 के मध्य में प्रदेश में डकैती-हत्या-बलात्कार-बलवा–राहजनी और लूट की घटनाओं में गत वर्ष इन्हीं माहों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटनाओं की रोकथाम पर अंकुश लगाने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

डकैती, बलात्कार एवं बलवा के अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है, जबकि हत्या एवं लूट के अपराधों में इसी अवधि में कमी आयी है ।

उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश स्तर पर एस० टी०एफ० एवं जनपद स्तर पर एस० ओ० जी० का गठन किया गया है तथा अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु समय-समय पर शासन एवं पुलिस महानिदेशक स्तर पर समीक्षा की जाती है साथ ही आवश्यक निर्देश भी जारी किये जाते हैं ।

प्रदेश के समस्त जनपदों में वाहन चलाने वालों को कम्प्यूटराइज्ड स्मार्ट कार्ड लाइसेंस जारी करने की योजना

*5 श्री राम नरेश यादव–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में वाहन चलाने वालों को कम्प्यूटराइज्ड स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स जारी करने हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह योजना जनवरी, 2001 से पूर्व लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है एवं टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त सभी जिलों में इसको लागू होने में लगभग 2 से 5 माह लगेगा ।

प्रदेश में आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स निर्गत करने की नीति

*6 श्री राधेश्याम सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आग्नेय शस्त्र के लाइसेन्स निर्गत करने की नीति क्या हैं ? जनपद महराजगंज तथा कुशीनगर में वर्ष 1999-2000 में कितने शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं ? जिलाधिकारी महराजगंज तथा कुशीनगर के कार्यालय में 10 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं और उन्हें कब तक लाइसेन्स निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

आग्नेयास्त्र लाइसेन्स के आवेदन पत्रों का निस्तारण आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किया जाता है ।

प्रश्नगत अवधि में जनपद महराजगंज में कुल 421 तथा जनपद कुशीनगर में कुल 209 शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं ।

जिलाधिकारी महराजगंज के कार्यालय में जांचोपरान्त कुल 229 आवेदन पत्र लम्बित हैं । जिलाधिकारी कुशीनगर के कार्यालय में 10 दिसम्बर 2000 को ऐसे 78 मामले लम्बित थे ।

जनपद महराजगंज में उक्त लम्बित 229 आवेदन पत्रों में से 144 मामलों में पुलिस आख्या छः माह से अधिक पुरानी होने के कारण उनमें पुनः जांच आवश्यक होगी । जनपद कुशीनगर में लम्बित उक्त 78 मामलों में से 15 में लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है ।

चूंकि वांछित पुलिस/राजस्व विभाग की संस्तुति प्राप्त हो जाने के बाद भी आयुध अधिनियम की धारा–13 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदक को शस्त्र/लाइसेंस की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किया जाना अपेक्षित है तथा इस सम्बन्ध में उनकी संतुष्टि/समाधान हेतु अन्य बिन्दुओं पर भी जांच/सूचना आदि की आवश्यकता हो सकती है । अतः शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण हेतु, कोई सुनिश्चित समयावधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में जमाखोरों घटतौलियों तथा मिलावट करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाये गये प्रभावी कदम

*7-श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा जमाखोरों घटतौलियों तथा मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ एवं मात्र आवश्यक वस्तु अधिनियम की दण्डात्मक धारा 3/7 को लागू न किये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा भविष्य में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली जमाखोरी आदि के खिलाफ सरकार किस प्रकार के प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–6655/29-7-2000–एम–11/94, दिनांक 19-12-2000 को निर्गत किया गया है । शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों/कन्ट्रोल आर्डर्स में निहित अन्य प्राविधानों का कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

उत्तर प्रदेश में वकीलों के कल्याण हेतु पेंशन, प्राविडेन्ट फण्ड/चिकित्सीय सहायता जैसी योजना लागू करने की मांग

*8-डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में वकीलों के कल्याण के लिये पेंशन प्राविडेन्ट फण्ड, चिकित्सीय सहायता जैसी योजनायें लागू किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

जी नहीं ।

अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उ० प्र० अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिवक्ता कल्याण निधि स्थापित है जिसका संचालन करने के लिए एक न्यासी समिति गठित है ।

उक्त न्यासी समिति एक स्वतंत्र निकाय है जिसके द्वारा ही अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाने का प्राविधान अधिनियम में किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे 84-85 पृष्ठ पर)

प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आई० एस० आई० द्वारा नशीले इंजेक्शनों व मादक पदार्थों की आपूर्ति से हुयी हानि तथा तस्करी रोकने हेतु कार्यवाही

*9-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आई०एस०आई० एजेन्सी द्वारा अपनी हिंसक गतिविधियों, जाली नोटों आदि के जरिये प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों के व्यापारियों के जरिये नशीले इन्जेक्शनों की आपूर्ति की जा रही है जिससे अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है ? क्या गोरखपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस संबंध में पुलिस अधिकारियों सहित सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों को एक परिपत्र भी भेजा गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उक्त तस्करी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रदेश के भारत-नेपाल सीमा स्थित क्षेत्रों में आई० एस० आई० द्वारा नशीले इंजेक्शनों व मादक पदार्थों आदि की आपूर्ति किये जाने तथा इनके कारण प्रदेश में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की पुष्टि नहीं हुई है ।

जी हां, अभिसूचना रिपोर्ट के आधार पर गोरखपुर जोन के जनपदों के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधिक्षकों को सतर्क करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन द्वारा दिनांक 22-3-2000 को परिपत्र निर्गत किया गया ।

उपरोक्त परिपत्र दिनांक 22-3-2000 में यह निर्देशित किया गया है कि नशीले इंजेक्शनों व दवाओं के अवैध व्यापार के कारण भारतीय नवयुवकों को सम्भावित क्षति को देखते हुए व्यवसाय में लिप्त चिकित्सकों व अन्य व्यक्तियों के चिकित्सालयों व दुकानों आदि पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश आयोजित करके ऐसे कारोबार पर अंकुश लगाया जाय ।

नशीले इंजेक्शनों व दवाओं की रोकथाम के लिये की गयी चेकिंग के दौरान जनपद महराजगंज के सात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार कार्यवाही की गयी । विवेचना से इन प्रकरणों में आई० एस० आई० का हाथ होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के विधायकों की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गयी व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

*10-श्री श्रीराम पाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विधान सभा विधायकों की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन स्तर पर सतत समीक्षा की व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विधायक गंगा बक्श सिंह चौहान व विधायक निर्भय पाल शर्मा के साथ घटित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने जनप्रतिनिधियों व उनके परिवार की सुरक्षा का कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

माननीय विधायकों को शासन की नीति के अन्तर्गत एक अंगरक्षक/गनर सामान्य रूप से अनुमन्य है । माननीय विधायकों हेतु इसके अतिरिक्त सुरक्षा की समीक्षा की पृथक व्यवस्था नहीं है वरन् जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित है जिसके द्वारा विभिन्न प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का जीवनभय के सही आंकलन के आधार पर परीक्षण कर व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु संस्तुति शासन को भेजी जाती है । जीवन भय के आंकलन के आधार पर पन्द्रह दिनों तक स्थानीय रूप से भी सुरक्षा के प्रबन्ध किये जाने की व्यवस्था है और इस प्रयोजन हेतु जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी तथा मण्डल व परिक्षेत्र स्तर पर मण्डलायुक्त व पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा समीक्षा करने के निर्देश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ श्रेणियों के जन-प्रतिनिधियों के लिए निःशुल्क अथवा सशुल्क व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु अंगरक्षक/गनर दिये जाने की व्यवस्था है । इसके साथ ही इनकी अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी मांग पर औचित्य पाये जाने पर तदनुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है । उनके परिवार के सदस्यों के जीवन भय के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा तत्काल अनुमन्य कराई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में परिवहन निगम के बस स्टैण्ड तथा प्राइवेट बस स्टैण्डों के मध्य दूरी बनाये रखने सम्बन्धी जानकारी

*11 श्री विजय पाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टैण्डों के पास प्राइवेट मोटर वाहनों का स्टैण्ड बना कर परिवहन निगम को अरबों रुपये की राजस्व हानि पहुंचाया जा रही है ? क्या यह सही है कि मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से 1 कि०मी० दूरी पर प्राइवेट बस स्टैण्ड रखा जाय ? क्या उक्त निर्देश का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रदेश के 47 जनपदों में पालन हो रहा है ।

जनपद गाजियाबाद व मुरादाबाद में मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेशों के कारण पालन नहीं हो पा रहा है ।

21 जनपदों में प्राइवेट वाहनों के स्टैण्ड 1 कि०मी० दूर हटाये जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा नोटिस देने/स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सभी नगरों/कस्बों में प्राइवेट मोटर वाहनों के स्टैण्ड उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से कम से कम 1 कि० मी० की दूरी पर स्थापित कराने के आदेश समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिनांक 1-7-99 को जारी किये जा चुके हैं ।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

*12 श्री शिव सिंह चक–

क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में मुंसिफ कोर्ट न होने के कारण वहां के नागरिकों को अपने मुकदमों के संबंध में जनपद–फिरोजाबाद, 30 कि० मी० दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां ।

प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्रतीक्षित है । मा० उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में तैनात राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति एवं नगदीकरण सुविधा को पुनः बहाल करने की मांग

*13 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में तैनात राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति एवं नगदीकरण पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त सुविधा पुनः लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

प्रदेश में तैनात राज्य कर्मचारियों की नियमित पदोन्नतियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । राज्य की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सेवाकाल में समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा को दिनांक 1 जनवरी, 1999 से समाप्त कर दिया गया है । समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश नकदीकरण को दिनांक 1-1-2000 से अग्रेत्तर आदेशों तक स्थगित रखा गया है । वर्तमान समय में सेवाकाल में अवकाश नकदीकरण की सुविधा पुनः लागू करने का प्रस्ताव विधाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति के कारण ।

प्रदेश के लखनऊ नगर में प्रदूषण कम करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य मार्गों पर बैट्री चालित टैम्पुओं को चलाने का निर्णय

*14-डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में प्रदूषण कम करने हेतु मा० उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य मार्गों पर टैम्पू बन्द करने हेतु निर्देश दिये गये थे ? क्या यह सही है कि टैम्पू के स्थान पर बस, टाटा सूमो, मार्शल जीप, मारूती वैन आदि वाहनों के चलने से भी प्रदूषण में कोई भी कमी नहीं आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ नगर में बैट्री चालित टैम्पुओं को चलाने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

लखनऊ नगर में बैट्री चालित टैम्पो पूर्व से ही संचालित हैं ।

जनपद लखनऊ के अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों को उनके बकाये वेतन के भुगतान की मांग

*15-श्री राजेन्द्र यादव–

क्या इलेक्ट्रानिक्स मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अपट्रान इण्डिया लिमिटेड–लखनऊ विगत दो वर्षों से बन्द होने के कारण वहां के कर्मचारियों को दो वर्ष से अधिक अवधि से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या अपट्रान इण्डिया की कतिपय इकाइयों को बन्द करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ब्रांच बन्द की जा रही हैं ? क्या सरकार बन्द की गयी इकाइयों के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? किस-किस विभाग में कितने कर्मचारी अब तक समायोजित किये जा चुके हैं ? शेष कर्मचारियों को सरकार कब तक समायोजित करा देगी ? कब तक अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड कम्पनी बी० आई० एफ० आर० में रुग्ण इकाई के रूप में पंजीकृत हैं । रुग्णता के कारण वेतन का भुगतान सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनी की जनशक्ति कम करने हेतु अब तक विभिन्न शासकीय विभागों में लगभग 566 कार्मिकों को संविदा/बाडी शापिंग/प्रतिनियुक्ति के आधार पर समायोजित किया जा सका है ।

कम्पनी की जनशक्ति कम करने की प्रक्रिया अनवरत् प्रक्रिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माल वाहक वाहनों के वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि के मार्ग वाहनों के कर निर्धारण की जानकारी

*16–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निजी भार वाहन की भांति चल रहे माल वाहक वाहनों पर वर्ष 1993-94 से 1997-98 की अवधि में माल कर का निर्धारण किया गया ? यदि हां, तो कब और उससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कर निर्धारण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली व देहरादून सम्भागों के सन्दर्भित अवधि में रुपया 4,06,387.00 मालकर के रूप में निर्धारण किया गया । किन्तु परिवहन निगम द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के कारण वसूली नहीं हो सकी ।

कानपुर, मेरठ, काठगोदाम (हल्द्वानी), अलीगढ़ व बांदा (चित्रकूटधाम) सम्भागों में परिवहन निगम द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के कारण मालकर का निर्धारण नहीं किया जा सका ।

गोरखपुर, सहारनपुर, पौड़ी, मुरादाबाद, फैजाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, झांसी, देवीपाटन (गोण्डा), लखनऊ व आगरा सम्भागों में कोई माल वाहक वाहन (परिवहन निगम की) पंजीकृत/पृष्ठांकित नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में वायु प्रदूषण/जल प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम

*17–श्री संजय गर्ग–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बड़े शहरों में वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से कई तरह की जानलेवा बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई नई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणता तथा विभिन्न नदियों एवं जलाशयों की जल गुणता निर्धारित मानकों से अधिक है । वायु गुणता एवं जल गुणता को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं जिनमें बढ़ती जनसंख्या, भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन, औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि एवं नगरीय जल-मल को बिना शुद्धिकृत किये नदियों अथवा अन्य स्थानों में निस्तारित किया जाना आदि मुख्य है । इस बात का कोई अध्ययन पर्यावरण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है कि जल एवं वायु प्रदूषण के फलस्वरूप कितनी बीमारियां फैल रही हैं । यद्यपि यह सत्य है कि वायु एवं जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां सम्भावित है, परन्तु मृत्यु दर तथा रूग्णता का कोई सीधा सम्बन्ध प्रदूषण से नहीं स्थापित है ।

जहां तक प्रदूषण की रोकथाम का प्रश्न है, विभिन्न विभागों द्वारा इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से नगरीय मल जल के शुद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही किया जाना सम्मिलित है।

केन्द्र सरकार द्वारा "पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994" के माध्यम से की गई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में स्थापित होने वाली अत्यधिक प्रदूषणकारी विशिष्ट इकाइयों की स्थापना के पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है। इस व्यवस्था में विशिष्ट इकाइयों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा लोक सुनवाई की कार्यवाही की जाती है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से मुख्य नगरों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख श्रोत वाहन जनित प्रदूषण हैं, जिसके नियंत्रण के लिए ईंधन की गुणता तथा वाहनों की डिजाइन में आवश्यक सुधार आदि उपाय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदूषणकारी इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बजट में धनाभाव के कारण अधिकांश थानों में काटे गये टेलीफोन को पुनः चालू करने की मांग

*18–डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि बजट में धन के उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश के अधिकांश थानों के टेलीफोन काट दिये गये हैं जिससे जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो उक्त थानों के टेलीफोन कब तक चालू कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

कतिपय टेलीफोन काटे जाने की सूचना शासन को प्राप्त हुई है।

थानों पर लगे टेलीफोन को विच्छेदित न होने देने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बैंक समितियों द्वारा जमा किये जाने वाले अंशदान को जिला कैडर फण्ड जिला सहकारी बैंक लिमिटेड उन्नाव से जमा कराने की मांग

*19–श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव ने बैंक समितियों से वर्ष 1977 से 2000 तक प्राप्त 1.5 प्रतिशत की दर से अंशदान में से मु०–32.38 लाख तथा जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव से वर्ष 1977 से वर्ष 2000 तक 0.50 प्रतिशत की दर से जमा किये जाने वाले अंशदान में से मु०–25.04 लाख कुल मु०–57.42 लाख, बैंक के जिला कैडर फण्ड में जमा किया जाना शेष है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त धनराशि मु०–57.42 लाख, 18 प्रतिशत ब्याज सहित जिला कैडर फण्ड में जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव से जमा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी हां,

मु० 25.04 लाख रुपये जिला कैडर फण्ड में जमा किये जा चुके हैं तथा मु० 32.38 लाख रुपये जमा किया जाना शेष है ।

समितियों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण अंशदान जमा नहीं किया जा सका ।

जी हां, अवशेष धनराशि मु० 32.38 लाख रुपये वित्तीय स्थिति ठीक होने पर जमा कराना सम्भव होगा । इस पर ब्याज लिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

समितियों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग द्वारा सम्भागीय निरीक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण-पत्रों की वैधता की जांच

*20–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सरकार को जानकारी है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई, 1999 में सम्भागीय/सहायक सम्भागीय निरीक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति पदों के लिये वर्ष, 2000 में विभिन्न चरणों में ली गयी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भी 7 पद रिक्त रखे गये हैं ? क्या फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्रों की वैधता की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस पूरे प्रकरण में की गयी अनियमितताओं की जांच सचिव कार्मिक से कराये जाने हेतु दिनांक 15 जनवरी, 2001 को मुख्य मंत्री द्वारा आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन को उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसके आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परीक्षाफल निरस्त कर इसकी जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां ।

कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

चयन की कार्यवाही में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री राम कुमार एडवोकेट–

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में टैक्सी धारकों से रोड टैक्स लिए जाने की जानकारी

2–श्री सीताराम निषाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टैक्सी धारकों से रोड टैक्स लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या चेक पोस्ट आदि के आस-पास टैक्सियों में सवारी बैठाने पर पुलिस द्वारा रोक लगायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

चेक पोस्टों आदि पर टैक्सियों में सवारी बैठाने पर पुलिस द्वारा कोई भी रोक नहीं लगायी जाती है/ जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3–श्री जय प्रकाश–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में जिला पडरौना में हुए गोली काण्ड में मृतक भुल्लन गुप्ता पर गोली चलाने वाले पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही तथा मृतक आश्रित को सेवा में भर्ती किये जाने की मांग

4–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 अगस्त, 2000 को पडरौना गोली काण्ड में मृतक भुल्लन गुप्ता पर गोली चलाने वाले पुलिस जनों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मृतक के आश्रित को सेवा में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

पडरौना में गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में निकाले गये जुलूस के अचानक हिंसक हो जाने के कारण उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 130 सी०आर०पी०सी० में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर करने के उद्देश्य से आवश्यक बल प्रयोग किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें लाठी चार्ज व आंसू गैस, रबड़ बुलेट का प्रयोग किया गया व इससे स्थिति नियंत्रित न पाकर फायरिंग के लिखित आदेश दे दिये गये, जिसके परिणाम में भुल्लन गुप्ता की घटना स्थल पर मृत्यु हुई । इस प्रकार वैधानिक कर्तव्य व कानून के पालन में की गयी कार्यवाही के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 132 (घ) में स्पष्ट प्राविधान है कि इस प्रकार के आदेश पालन करने व पालन में किये गये किसी कार्य के लिए सशस्त्र बल के किसी सदस्य के बारे में यह न समझा जायेगा कि उसने कोई अपराध किया है । इस प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराये जाने सम्बन्धी याचिका जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कुशीनगर द्वारा खारिज की जा चुकी है । अतः प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का कोई औचित्य नहीं था ।

शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही में मृतक के आश्रित को सेवायोजन में लिए जाने के सम्बन्ध में प्राविधान नहीं हैं मृतक के आश्रित को रु० 200000.00 (दो लाख) की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के हिमांशु, गैस सर्विस द्वारा की जा रही गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी में की गयी अनियमितताओं की जानकारी

5–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि हिमांशु गैस सर्विस गोरखपुर द्वारा होम डिलीवरी पर उपभोक्ताओं से प्रति सिलेण्डर 260 से 280 रुपया वसूल किया जा रहा है एवं समय से गैस की आपूर्ति भी नहीं की जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, सूचना प्राप्त हुई थी ।

इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी । जांच में गैस की आपूर्ति तथा उसके मूल्य के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव ग्राम इन्देमऊ के थाना बीघापुर में एक पुलिस चौकी की स्थापना विषयक श्री विन्ध्यवासिनी, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6–श्री दीपलाल भारती, श्री यशपाल सिंह चौहान तथा श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विन्ध्यवासिनी कुमार, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 2000 जो ग्राम इन्देमऊ, थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव में एक पुलिस चौकी की स्थापना विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार जनहित में अपराधों की रोकथाम हेतु ग्राम इन्देमऊ, थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव में एक पुलिस चौकी की स्थापना हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से आख्या प्राप्त की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित मानक को पूरा न करने, प्रस्तावित चौकी क्षेत्र में अपराधों की संख्या कम होने तथा प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता की दृष्टि से पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के कारण पुलिस चौकी की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया है ।

यू०पी० पोस्टल, प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ में संचालक के पद पर तीसरी बार चुने जाने की वैधता की जांच

7-श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 449 (1) के अनुसार कोई सदस्य सहकारी संस्था में लगातार दो कार्यकाल तक संचालक पद पर रहने के बाद तीसरी बार संचालक पद हेतु निर्वाचित नहीं किया जायेगा और न ही मनोनीत किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या यू०पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक, 3 बाल्मीकि मार्ग, लखनऊ में नियम विरुद्ध तीसरे कार्यकाल के लिए किसी व्यक्ति को संचालक चुना गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें उनके पद से हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

अधिसूचना संख्या–2497/49-1-2000-7(10)-95टी०सी० लखनऊ 19-10-2000 निर्गत होने के पूर्व प्राविधान था कि कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में सदस्य के रूप में निर्वाचित या आमेलित किये जाने के लिए पात्र न होगा । यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से 2 लगातार कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो ।

जी हां ।

जी हां ।

कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के हेड कान्सटेबिलों को पेंशन एरियर का भुगतान न हो पाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8-श्री उदयराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-5-2000 जो 37वीं वाहिनी पी०ए०सी० कानपुर के हेड कान्सटेबिलों को पेंशन/कुटुम्ब पेंशन वर्ष 1986 से बढ़े हुए पेंशन एरियर का भुगतान न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित सेवानिवृत्त हेड कान्सटेबिल श्री गोपाल सिंह को दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है तथा उनके पेंशन का कोई बकाया भुगतान अवशेष नहीं है । इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त समस्त पेंशनभोगी पुलिस एवं पी०ए०सी० कर्मियों के पेंशन सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करने तथा बकाया देयकों का भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ चौखड़ पूरेअन्ती निवासी श्री विनोद कुमार की एफ०आई०आर० दर्ज कराने की जानकारी

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या सी०एम०/वि०को०/ एम–2/33187/ प्रतापगढ़/2000 दिनांक 26-4-2000 द्वारा श्री विनोद कुमार पुत्र श्री विजय नरायन निवासी चौखड़ पूरेअन्ती प्रतापगढ़ की एफ०आई०आर० दर्ज करने तथा दिनांक 10-5-2000 तक अवगत कराने के आदेश का पालन पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा करा दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस मामले की मजिस्ट्रेट से जांच करायी गयी । मजिस्ट्रीयल जांच में प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । अतः प्रकरण में एफ०आई०आर० दर्ज कराने का औचित्य नहीं पाया गया ।

तहसील कुण्डा के थानाध्यक्ष श्री शिव शंकर पाण्डेय के प्रकरण पर जांच

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या सी०एम०/वि०को०/ एम–2/28505/ प्रतापगढ़/99 दिनांक 11-12-99 जो शिव शंकर पाण्डेय थानाध्यक्ष कुण्डा के प्रकरण पर जांच हेतु मुख्यालय स्तर से महानिदेशक पुलिस को दिये गये आदेश पर जांच किस स्तर से करायी गयी ? जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

आदेश संख्या सी०एम०/वि०को०/ एम–2/28505/प्रतापगढ़/99 दिनांक 11-12-99 नहीं अपितु इसी प्रकरण में मा० मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी०एम०/वि०को०/ एम–3705/99 (60) दिनांक 30-11-99 द्वारा पृष्ठांकित एक पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र, उ० प्र० के पत्रांक सीओए/एसी–1/लो०शि०प्र०(12)99/7246, दिनांक 31-12-99 द्वारा प्राप्त हुआ था । जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से करायी गयी ।

जांच में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये । फलस्वरूप जांचकर्ता अधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की गयी थी ।

जनपद हमीरपुर के श्री जगन्नाथ तिवारी उप निरीक्षक राठ द्वारा फर्जी हस्ताक्षरयुक्त पैड से अपना स्थानान्तरण रुकवाने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र का विवेचनाधीन प्रकरण

11-श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगन्नाथ तिवारी पुलिस निरीक्षक राठ जनपद हमीरपुर द्वारा दिनांक 12-6-2000 को सदस्य, विधान सभा के पैड पर प्रश्नकर्ता का फर्जी हस्ताक्षर करके अपना स्थानान्तरण रुकवाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र जिसका कम्प्यूटर नं० सी० 0036942 पत्रांक सं०–सी० एम० वि० को०/एम–2/36942/हमीरपुर/2000 है प्रमुख सचिव/गृह एवं गोपन को दिनांक 1-9-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर पुलिस इन्सपेक्टर जगन्नाथ तिवारी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट धारा 420, 467, 468, 471, आई०पी०सी० कोतवाली हमीरपुर में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

श्री जगन्नाथ तिवारी, पुलिस निरीक्षक राठ के विरुद्ध थाना कोतवाली हमीरपुर में मु०अ०सं० 269/2000 धारा 419/420/468/471 भा०दं०वि० पंजीकृत हुआ है। उक्त अभियोग की विवेचना श्री अवधेश बहादुर सिंह क्षेत्राधिकारी राठ जनपद हमीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना से सम्बन्धित केश डायरी का अवलोकन किया जा चुका है। प्रकरण विवेचनाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ थाना आसपुर के श्री राजेश्वर प्रसाद जायसवाल के प्रकरण की एफ०आई०आर० दर्ज करने विषयक एस०पी० को सन्दर्भित पत्र के विवरण की जानकारी

12–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल निवासी पूरेदलपतशाह, थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ के भाई राजेश्वर प्रसाद जायसवाल के प्रकरण की एफ०आई०आर० दर्ज करने हेतु एस०पी० प्रतापगढ़ को दिये गये आदेश सी०एम०/वि०को०/ एम–2/27547/प्रतापगढ़/99 दिनांक 10-11-99 एवं पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम/31585/प्रतापगढ़/2000 दिनांक 24-2-2000 का पालन कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/31585/प्रतापगढ़/2000 दिनांक 24-2-2000 पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/ एम–2/47547/प्रतापगढ़/99 दिनांक 17-12-99 पर कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल द्वारा थानाध्यक्ष श्री मितानराम प्रेमी के ऊपर उसके छोटे भाई को अनावश्यक रूप से मारे-पीटे जाने के आरोप लगाये गये हैं।

प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ की जांच से पाया गया कि आवेदक के भाई राजेश्वर प्रसाद जायसवाल ने श्री मितानराम प्रेमी तत्कालीन थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा के विरुद्ध न्यायालय सी०जे०एम० प्रतापगढ़ में वाद संख्या–2120/99 राजेश्वर प्रसाद जायसवाल बनाम मितानराम प्रेमी थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा दायर किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण पुनः उसी प्रकरण की उप निरीक्षक से विवेचना कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के भौसिया के निवासी श्री श्रीराम की एफ०आई०आर० दर्ज करने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदेश सी०एम०/वि०को०/ एम–2/33225/प्रतापगढ़/2000 दिनांक 27-4-2000 जो श्री श्रीराम पुत्र श्री दसई राम (अ०जा०) निवासी भौसिया पो० कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ की एफ०आई०आर० दर्ज करने एवं तत्काल कार्यवाही कराने के संबंध में था, के आदेश का पालन कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं०–सी०एम०/वि०को०/एम–2/33225/प्रतापगढ़/2000 दिनांक 27-4-2000 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह विधायक के पत्र दिनांक 20-4-2000 के साथ आवेदक श्री श्रीराम नि० ग्राम भौसिया, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ का शिकायती प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ ।

उपरोक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच श्री अमर बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी पट्टी से करायी गयी । जांच से पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्य लोगों के कहने पर दे दिया गया था जिसमें लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी । सम्प्रति आवेदक के शिकायत के आधार पर मु०अ०सं०–18/2001 धारा 457/380 भा०द०वि० थाना कन्धई पर पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

14–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 27-3-2000 को अता० प्र० सं०–120 द्वारा उत्तरित]

जनपद कन्नौज के पत्रकार श्री अलोक मिश्रा के पुत्र सोमांक मिश्रा की सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश

15–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–104 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित पत्रकार की क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा सुरक्षा की समीक्षा अब भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 20 नवम्बर, 2000 को आलोक मिश्रा के पुत्र सोमांक मिश्रा पर प्राण घातक हमला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

संबंधित पत्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा चुकी है । उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यकतानुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

दिनांक 20 नवम्बर, 2000 को श्री आलोक मिश्रा के पुत्र श्री सोमांक मिश्रा पर कोई प्राण घातक हमला नहीं हुआ है बल्कि मारपीट की साधारण घटना हुई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की निरालानगर निवासी श्रीमती शकुन्तला अवस्थी की चिकित्सक की लापरवाही के कारण हुयी मृत्यु संबंधी श्री लियाकत अली के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय लोक दल जनपद लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष, श्री लियाकत अली का पत्र दिनांक 15-9-2000 जो पुलिस महानिदेशक उ० प्र० को सम्बोधित था और जो श्रीमती शकुन्तला अवस्थी, निवासी निरालानगर, लखनऊ की चिकित्सक की लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर जांच कराई गयी ? यदि

हां, तो क्या जांच में दोषी चिकित्सक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 15-9-2000 नहीं अपितु पत्र दिनांक 12-9-2000 पुलिस महानिदेशक उ० प्र० को प्राप्त हुआ था ।

जी हां ।

जांच से किसी हस्तक्षेपीय अपराध का होना नहीं पाये जाने के कारण एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में व्यापार-कर प्रशिक्षण संस्थान में व्यापार कर अधिकारी–2 को प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी जानकारी

17–श्री उदयराज यादव–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री को जानकारी है कि व्यापार कर प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में दिनांक 23-8-2000 से व्यापार कर अधिकारी–2 का प्रशिक्षण आरम्भ हुआ है ? क्या यह सही है कि प्रशिक्षण हेतु बुलाये गये अधिकारियों में से कुछ का सेवानिवृत्त का कार्यकाल मात्र एक या एक वर्ष से कम है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस प्रकार के अधिकारियों को दिये जा रहे प्रशिक्षण को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम०काम०)–

जी हां ।

जी हां ।

इन अधिकारियों को इस प्रशिक्षण में कर-निर्धारण करने, राजस्व की रक्षा करने तथा सचल दल/विशेष अनुसंधान शाखा आदि के कार्य, जो संवेदनशील प्रकृति के हैं, को करने तथा नियमों/अधिनियमों एवं विभागीय कार्य प्रणाली का ज्ञान दिया गया । अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना उनकी अवशेष सेवा अवधि के लिए आवश्यक है, चाहे अवधि कितना भी कम क्यों न हो ।

जी नहीं ।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 25-11-2000 को पूरा हो चुका है अतः निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

18-डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[दिनांक 22-3-2001 को अता० प्र० सं०–174 द्वारा उत्थरित]

प्रदेश में हुए अपराधों को रोकने हेतु संदर्भित मुकदमों का पुनरीक्षण

19–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्टूबर, 1999 से अक्टूबर, 2000 तक प्रदेश में कितने मामले सी०बी०सी०आई०डी० को जांच हेतु सन्दर्भित किये गये ? क्या सरकार अपराधों को रोकने हेतु सन्दर्भित मुकदमों का पुनरीक्षण जिला पुलिस को सौंपने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ० प्र० को 1 अक्टूबर, 1999 से 31 अक्टूबर, 2000 तक 1608 प्रकरणों की जांच अभिदिष्ट की गयी है।

मामले की जांच सी०बी०सी०आई०डी० को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सौंपी जाती है। जिन मामलों में यह पाया जाता है-कि प्रकरण की जांच स्थानीय पुलिस से कराई जानी आवश्यक है तो उन मामलों का गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण जिला पुलिस को सौंपने पर विचार किया जाता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में किसान सहकारी सेवा समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी नाम पर ऋण प्रदान करने संबंधी जानकारी

20–श्री भारखनाथ पाण्डेय–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में किसान सहकारी सेवा समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी नाम पर ऋण प्रदान किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के किसान सेवा समितियों में कुछ कर्मचारियों को इस कार्य में लिप्त पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रकरण में निहित विषय सामग्री विस्तीर्ण प्रकृति की होने के कारण इस अंश का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती/गोण्डा कस्बा बभनान में सरकारी धान क्रय केन्द्र खोलने की मांग

21–श्री चेतराम–

क्या सरकार को जानकारी है कि कस्बा बभनान, जनपद बस्ती/गोण्डा में सरकारी धान क्रय केन्द्र न होने के कारण लाखों कुन्तल किसानों का धान स्थानीय (अमान्यता प्राप्त) व्यापारियों द्वारा मनमाने दामों पर खरीदा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों में समुचित सरकारी धान क्रय केन्द्र खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कस्बा बभनान के कृषकों के धान क्रय हेतु दो क्रय केन्द्र खोलकर धान की खरीद की गई है। अतः यह सही नहीं है कि कस्बा बभनान, जनपद बस्ती/गोण्डा में सरकारी धान क्रय केन्द्र न होने के कारण किसानों का धान स्थानीय व्यापारियों द्वारा मनमाने दामों पर खरीदा गया।

जनपद बस्ती तथा गोण्डा में आवश्यकता के अनुरूप कुल 83 क्रय केन्द्र खोलकर धान की खरीद की गई है अब धान खरीद कार्य समाप्त हो गया है। अतः अब धान क्रय हेतु केन्द्र खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश में चल रही बाल पुष्टाहार योजना, सिफ्सा, अनौपचारिक शिक्षा योजना एवं प्रौढ़ शिक्षा योजना का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से कराये जाने संबंधी जानकारी

22–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रही बाल पुष्टाहार योजना, सिफ्सा, अनौपचारिक शिक्षा योजना, प्रौढ़ शिक्षा योजना का लेखा परीक्षण क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी योजनाओं का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

प्रदेश में चल रही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना, सिफ्सा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं के लेखों का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में खोले गये धान क्रय केन्द्रों का विवरण

23–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री संजय वर्ग–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में कितने धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं और कितना धान क्रय करने का लक्ष्य रखा गया है ? क्या लक्ष्य के सापेक्ष धान खरीदा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद हेतु 1605 क्रय केन्द्र खोले गये हैं और धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 3 लाख मी० टन रखा गया था ।

जी हां, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 5,40,179 मी० टन धान की खरीद की गई, जो निर्धारित लक्ष्य से लगभग 80 प्रतिशत अधिक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग, उ० प्र० के कार्यालय में उ० प्र० अस्थायी सरकारी सेवा नियमावली, 1975 में निकाले गये लोगों की नियुक्ति संबंधी जानकारी

24–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसन्धान विभाग, उ० प्र० के कार्यालय ज्ञाप/आदेश संख्या–3-4-446/98 दिनांक 10 अगस्त, 1998 एवं नियुक्ति अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–20/1/74 नियुक्ति–3 दिनांक 11 जून, 1975 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों को नोटिस देते हुये उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्यालय ज्ञाप से निकाले गये लोगों के स्थान पर वर्तमान में कितने लोगों को पुनः नियुक्ति प्रदान की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह–

केवल एक अस्थायी रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मी (अर्दली/प्यून) की सेवा समाप्त की गयी है ।

उक्त कर्मी के स्थान पर सम्प्रति किसी की नियुक्ति नहीं की गयी है ।

जनपद लखनऊ के सराय माली खां स्थित प्रोफेशनल इन्जीनियरिंग कम्पनी पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25. श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, नगर लखनऊ पूर्व का पत्र सं०–एस०टी०/नगर ई०–73/99 दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 जो क्षेत्राधिकारी, आलमबाग, लखनऊ को भेजा गया था जिसमें प्रोफेशनल इन्जीनियरिंग कम्पनी 414/221ए, सराय माली खां, लखनऊ के प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-4-99 व 17-4-98 के आधार पर स्टे वेकेट होने के उल्लेख के साथ अधिशासी अभियन्ता की गिरफ्तारी का आदेश था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत अभियोग के अभियुक्त अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी शासन हैं, अतः जनपदीय पुलिस द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु इनके नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् उ० प्र० शासन से अनुमति मांगी गयी है जो विचाराधीन है । अभियोजन स्वीकृति के बाद ही गिरफ्तारी के संबंध में विधिक कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26. डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जिला प्रतापगढ़ थाना कोहड़ौर अतरसण्ड निवासी श्री मो० हफीज एवं श्री राम अवध के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मो० हफीज एवं श्री राम अवध सरोज निवासी अतरसण्ड थाना कोहड़ौर जिला प्रतापगढ़ के प्रार्थना-पत्र पर एफ०आई०आर० दर्ज करने हेतु आदेश संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/28714/प्रतापगढ़/99, दिनांक 15-12-99 द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन करा लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/28714/प्रतापगढ़/99, दिनांक 15-12-99 पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ था ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा० विधायक के पत्र दिनांक 10-12-99 के साथ श्री मो० हफीज एवं श्री राम अवध सरोज पुत्र श्री बोडई सरोज निवासी ग्राम अतरसण्ड, थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की गई थी । आवेदक के प्रार्थना-पत्र में उसकी पत्नी को डरा-धमकाकर 20 हजार रुपये की मांग करने आदि के आरोप लगाये गये थे ।

प्रकरण की जांच श्री आर०एस० श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी, नगर प्रतापगढ़ से करायी गयी जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता एवं विपक्षीगणमें पार्टीबंदी चल रही है और इसी कारण इनके द्वारा झूठे आरोप लगाकर प्रार्थना-पत्र दिया गया है । स्थिति को देखते हुए धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक कार्यवाही करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ थाना कोहड़ौर सराय रजई के निवासी श्री राम अनु० जा० की एफ०आई०आर० दर्ज करने संबंधी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदेश संख्या सी०एम०/ वि०को०/ एम–2/ 38357/ प्रतापगढ़/2000, दिनांक 4-10-2000 जो श्री राम अनु० जा० निवासी अतरसण्ड थाना कोहड़ौर प्रतापगढ़ एवं श्रीमती नन्हका देवी सरोज निवासी सराय रजई थाना कोहड़ौर प्रतापगढ़ की एफ०आई०आर० दर्ज कराकर विवेचना कराने के संबंध में था, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं०–सी०एम०/वि०को०/एम–2/38357/प्रतापगढ़/2000, दिनांक 4-10-2000 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, विधायक के पत्र दिनांक 30-9-2000 के साथ आवेदक श्री श्रीराम निवासी अतरसण्ड थाना कोहड़ौर एवं श्रीमती नन्हका देवी निवासी ग्राम सराय रजई के प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुये थे ।

श्री श्रीराम निवासी अतरसण्ड जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर मु०अ०सं०–23/2000 धारा 506 भा०द०वि० 3(1) एससी/एसटी एक्ट थाना कोहड़ौर पर पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र सं०–39 दिनांक 14-5-2000 को प्रेषित किया जा चुका है ।

श्रीमती नन्हका देवी पत्नी श्री स्वामी नाथ सरोज निवासिनी ग्राम सराय रजई के प्रकरण पर मु०अ०सं०–112/2000 धारा 394/504/506 भा०द०वि० व 3 (2) 5एससी/एसटी एक्ट थाना कोहड़ौर पर पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर प्रतापगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के थाना अलीगंज के उपनिरीक्षक श्री आर०पी० शाही तथा श्री परिहार के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

29–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना अलीगंज, लखनऊ के उप निरीक्षक आर०पी० शाही तथा श्री परिहार द्वारा असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने एवं अनैतिक कार्य कराने के संबंध में श्री मण्डलेश्वर सिंह, भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री का पत्र सं०–वी०आई०पी० 693/क्षे०वि०/ 2000 दिनांक 9-8-2000 पुलिस महानिदेशक उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

पुलिस महानिदेशक कार्यालय अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के थाना अलीगंज के दो उपनिरीक्षकों का स्थानान्तरण

30 श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के 31 अधिवक्ताओं का पत्र दिनांक 20-7-2000 जो अलीगंज लखनऊ थाने के दो उपनिरीक्षकों (शाही एवं परिहार) के द्वारा फैलाये जा रहे आतंक के संबंध में था, गृह राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि गृह राज्य मंत्री ने संबंधित दोनों उप निरीक्षकों को लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित किये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

दोनों उपनिरीक्षकों को पूर्व तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर ब्लाक जगदीशपुर गांव हसनपुर जोटई के श्री बदलू पुत्र गरीब द्वारा सहकारी समिति हरीमऊ में फर्जी ऋण वसूली विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31 श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 3रे सोम के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–8 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में दोषी पाये गये तत्कालीन सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

शिकायती प्रकरण में दोषी तत्कालीन सचिव श्री कपिल देव तिवारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करके एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर देहात में कार्यरत सचिव श्री सम्पूर्णानन्द दीक्षित द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण मंत्री का पत्र संख्या–301–वी०आई०पी० म०स०क० दिनांक 25-1-2000 जो कानपुर देहात में कार्यरत सचिव श्री सम्पूर्णानन्द दीक्षित द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में था जिलाधिकारी कानपुर देहात को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां, परन्तु संदर्भित पत्र श्री सम्पूर्णानन्द दीक्षित का अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने पर उन्हें कार्यमुक्त न किये जाने के संबंध में था ।

श्री दीक्षित को किसान सेवा सहकारी समिति बड़ागांव भिक्खी विकास खण्ड, डेरापुर से साधन सहकारी समिति लि० सरगांव खुर्द के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अ०सं० 707/98 की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने की मांग

33–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या–सी० एम०/वि० को०/एम/32304/प्रतापगढ़/2000 दिनांक 14-9-2000 जो जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु०अ०सं० 707/98 थाना कोतवाली नगर की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मामले की सी०बी०सी०आई०डी० से विवेचना कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम छांयसा में पंचायत चुनाव के अन्तर्गत पुलिस की गोली से हुई मृत्यु के फलस्वरूप मृतकों के परिवारों को दी गयी आर्थिक सहायता

34 श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 20-6-2000 को जनपद गौतबुद्ध नगर के थाना जारचा के अन्तर्गत ग्राम छांयसा के पंचायत चुनावों में पुलिस की गोली से दो लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? क्या जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर का मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने हेतु संस्तुति पत्र सं० 923 दिनांक 21 जून, 2000 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

जी हां।

दोनों मृतकों के आश्रितों को बीस-बीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के प्रदूषित पानी से प्रभावित ग्राम मझवा एवं उसके आस-पास के दर्जनों गांवों में प्रदूषण नियंत्रण की मांग

35 श्री राधेश्याम सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि चीनी मिल तथा डिस्टलरी कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर के प्रदूषित पानी से ग्राम मझवा एवं उसके आस-पास के दर्जनों गांव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में प्रदूषित पानी बहने हेतु नाली का निर्माण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई ठोस उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

ग्राम मझवा एवं उसके आस-पास के गांवों में प्रदूषण की कोई सूचना नहीं है। उद्योग का औद्योगिक उत्प्रवाह द्वितीय चरण के शुद्धीकरण के उपरान्त निकटवर्ती मझवा गांव में स्थित ड्रेन के माध्यम से निकलता है। ड्रेन के क्षतिग्रस्त होने के कारण मझवा गांव/कप्तानगंज की सीमा में स्थित कच्चे लैगून में उत्प्रवाह एकत्रित हुआ पाया गया।

मै० सोमैया आर्गेनिक्स (इण्डिया) लिमि०, इकाई कप्तानगंज डिस्टलरी को पक्की नाली बनाने हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। उद्योग द्वारा पक्की नाली के निर्माण का कार्य तीन माह में पूर्ण कर लिये जाने का आश्वासन दिया गया है। चीनी उद्योग मै० कनौरिया शुगर एण्ड जनरल मैन्यू० कं० लि०, कप्तानगंज, कुशीनगर का निरीक्षण उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2001 को किया गया तथा उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पायी गयी। मै० सोमैया आर्गेनिक्स इण्डिया लि०, यूनिट, कप्तानगंज, कुशीनगर का निरीक्षण उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2000 तथा 17 नवम्बर, 2000 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की गुणवत्ता ''बोर्ड'' के मानकों के विरुद्ध पायी गयी। उद्योग को ''बोर्ड'' के मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह निस्तारित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इस इकाई के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत एक वाद 3727/85–एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में खोले गये धान क्रय केन्द्रों की जानकारी

36–श्री अफजाल अहमद–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जनपद जौनपुर में कितने धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त जनपद में किसानों से सीधे धान न लेकर बिचौलियों के माध्यम से कम दरों पर धान की खरीद की जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में कृषकों से धान खरीद हेतु कुल 45 क्रय केन्द्र खोले गये ?

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में माह अक्टूबर, 1999 से फरवरी, 2000 तक आग्नेयास्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों सम्बन्धी जानकारी

37–श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में माह अक्टूबर, 1999 से फरवरी, 2000 तक कितने आवेदन पत्र आग्नेयास्त्र (बन्दूक, रिवाल्वर, राइफल आदि) लाइसेन्स हेतु प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित थानों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा कितने अवशेष हैं ? अवशेष पत्रों पर रिपोर्ट में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि

उक्त प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कितने लाइसेंस अब तक निर्गत किये गये हैं तथा अवशेष आवेदन-पत्रों पर कब तक लाइसेंस जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद उन्नाव में माह अक्टूबर, 1999 से फरवरी, 2000 तक आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु कुल 39 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं।

उक्त प्राप्त आवेदन-पत्रों में से 27 आवेदन-पत्रों में पुलिस आख्या प्राप्त हो चुकी है तथा 12 आवेदन-पत्रों पर पुलिस आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

विलम्ब का कारण समय-समय पर होने वाले चुनावों एवं शान्ति-व्यवस्था कार्यों में व्यस्तता रहा है।

उक्त आवेदन-पत्रों में से 05 आवेदन पत्रों पर शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये जा चुके हैं।

चूंकि शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों पर विचार हेतु मात्र पुलिस रिपोर्ट ही पर्याप्त नहीं होती है अपितु आयुध अधिनियम की धारा–13 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदक को शस्त्र लाइसेन्स की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन तथा इस दृष्टि से संतुष्टि आवश्यक है कि आवेदक को शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अनुकूल कारण उपलब्ध हैं। उक्त के दृष्टिगत लम्बित शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों के अन्तिम निस्तारण हेतु कोई सुनिश्चित समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

जनपद जौनपुर के छात्रों को वितरित मिट्टी के तेल में कालाबाजारी की जांच

38 श्री अफजाल अहमद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के अध्ययनरत छात्रों को मिलने वाले मिट्टी के तेल के वितरण छात्रों को समय से न देकर उसकी कालाबाजारी करा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद जौनपुर के अध्ययनरत छात्रों को मिलने वाले मिट्टी तेल का वितरण कर छात्रों को समय से न देकर उसकी कालाबाजारी कराये जाने का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी नियमानुसार जांच कराकर अन्तर्लिप्त दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डित करने की कार्यवाही की जाती है।

जनपद लखनऊ के अलीगंज थाने के पुलिस उपनिरीक्षक का स्थानान्तरण

39–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि माह मई/जून 2000 में लखनऊ के अलीगंज थाने के अन्तर्गत चांदगंज चौकी पर तैनात उप पुलिस निरीक्षक, श्री आर० पी० शाही को गम्भीर अनियमितताओं के कारण लाईन हाजिर किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनकी पुनः उसी चौकी पर तैनाती कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पुलिस उपनिरीक्षक को लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां। उप निरीक्षक श्री आर०पी० शाही को श्रीमती शाहिन बानों पत्नी श्री सब्बीर अली, निवासी पाण्डेटोला, थाना अलीगंज लखनऊ के पुत्र फैसल उर्फ गोलू के अपहरण की सूचना पर शिथिलता बरतने के फलस्वरूप आदेश दि० 14-5-2000 द्वारा पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त उप निरीक्षक को पूर्व तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित किया जा चुका है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित जी०आर०पी० थाना, उत्तर रेलवे चारबाग में प्लेटफार्मों पर हुई चोरी संबंधी प्रकरण

40-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित जी०आर०पी० थाना उत्तर रेलवे, चारबाग में 1 फरवरी, 2000 से 31-10-2000 तक कितनी रिपोर्ट प्लेटफार्मों पर चोरी हो जाने से सम्बन्धित दर्ज करायी गई ? उसमें से कितनी एफ० आई० आर० से सम्बन्धित माल (सामान) बरामद किया गया ?

श्री राजनाथ सिंह–

दिनांक 1-2-2000 से 31-10-2000 तक थाना जी०आर०पी० चारबाग में प्लेटफार्मों पर चोरी से संबंधित कुल 98 रिपोर्ट (अभियोग) दर्ज हुए । इनमें से 5 एफ०आई०आर० से संबंधित माल (रु० 9,650/-के मूल्य का) जी०आर०पी० द्वारा बरामद किया गया ।

41–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

प्रदेश के आय-व्यय के संतुलन हेतु कार्य योजना संबंधी जानकारी

42–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि आय-व्यय के असंतुलन को संस्तुति करने के लिए क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

विधान सभा में प्रस्तुत वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक खण्ड–2 (भाग–1) "2000-2001 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की समीक्षा" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की "मध्यकालीन वित्तीय सुधार नीति" का समावेश किया गया है जिसमें वित्तीय स्थिति को सन्तुलित करने के लिये कार्य योजना का विस्तृत उल्लेख किया गया है ।

43–श्री रमेश राही–

[तीसरे गुरुवार में अता० प्र० सं०-61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद जौनपुर के जिला सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति के कार्यकाल विषयक जानकारी

44–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सहकारी बैंक जौनपुर के प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या बैंक में प्रशासक भी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो कब ? प्रबन्ध समिति का चुनाव कब तक करा दिया जायेगा ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बैंक में 19-10-2000 को प्रशासक नियुक्त हुआ तथा उसके उपरान्त प्रबन्ध समिति का 17-11-2000 को निर्वाचन सम्पन्न हो गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड के जनपदों में निरन्तर अपहरण की बढ़ रही वारदातों के फलस्वरूप पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

45-श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बुन्देल खण्ड के जनपदों में सूचीबद्ध दर्जनों दस्यु गिरोहों द्वारा निरन्तर अपहरण की वारदातें की जा रही हैं जिसको पुलिस प्रशासन नहीं रोक पा रहा है ? क्या सरकार ऐसे निष्क्रीय पुलिस अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन के थाना रामपुरा के मजरा ग्राम रवोंड से विगत दो माह पूर्व हुये पांच पाल जाति के लोगों के अपहरण की प्राथमिकी स्थानीय पुलिस द्वारा जानबूझकर दर्ज नहीं की गयी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दस्यु गिरोहों द्वारा की जा रही अपहरण की वारदातों से निपटने के लिये मध्य प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त कार्य योजना के अनुसार अभियान चलाया गया । परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 में बीहड़ इलाके में की गई काम्बिंग के फलस्वरूप जनपद जालौन में दस्यु गिरोहों के दो गैंग लीडरों व 2 सक्रिय सदस्यों को तथा जनपद झांसी में एक सक्रिय सदस्य को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है ।

जी नहीं ।

कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करके गैंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । अतः किसी अधिकारी को इस आधार पर स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

जनपद जालौन के थाना रामपुरा में दिनांक 23-10-2000 को घटित अपहरण की घटना के संबंध में वादी राधेश्याम पुत्र श्री नन्हें पाल द्वारा दिनांक 24-10-2000 को दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर उक्त तिथि को ही थाना रामपुरा में मु०अ०सं०–160/2000 धारा 364 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान बढ़ते पुलिस के दबाव/कोम्बिंग के कारण 4 अपहृत सर्वश्री ठाकुर प्रसाद, रामवीर, रामफल एवं कमलेश स्वयं बदमाशों के चंगुल से मुक्त होकर वापस आ चुके हैं तथा दिनांक 22-1-2001 को दस्यु पहलवान सिंह गैंग व पुलिस के मध्य हुई सशस्त्र मुठभेड़ में शेष एक अपहृत रामसनेही पुत्र श्री मूंगा को सकुशल मुक्त करा लिया गया ।

प्रश्नगत प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन थाना कुठौन्द के ग्राम तिरावली में श्री प्रयाग नारायण पाल की हत्या की जांच

46–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के थाना कुठौन्द के ग्राम तिरावली में दिनांक 2-9-2000 को प्रयाग नारायण पाल की हत्या की घटना की प्राथमिकी मु०अ०सं० 115/302

आई०पी०सी० की तफतीश थानाध्यक्ष कुठौन्द द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्या तफतीश में उपलब्ध साक्ष्य व वादी तथा गवाहान के द्वारा घटना की पुष्टि में किये गये शपथ-पत्रों के आधार पर केस डायरी मे उल्लिखित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री प्रयाग नारायण पाल की हत्या के संबंध में थाना कुठौन्द पर मु०अ०सं०–115/2000 धारा 302 आई०पी०सी० पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष कुठौन्द जनपद जालौन द्वारा व उसके बाद थानाध्यक्ष चुर्खी द्वारा की गई ।

तत्कालीन थानाध्यक्ष कुठौन्द की तफतीश के दौरान मुकदमा वादी श्री राम नारायण एवं वादी के पिता ने अपने बयान में (1) शिव कुमार, (2) पप्पू उर्फ राम नरेश, (3) महेन्द्र उर्फ मिश्रा यादव, (4) नरेन्द्र द्वारा हत्या करना बताया था, परन्तु यह विपक्षीगण नामजद नहीं थे । तत्पश्चात् इस अभियोग की विवेचना पुलिस अधीक्षक, जालौन के आदेश दिनांक 10-10-2000 द्वारा थानाध्यक्ष, चुर्खी के सुपुर्द की गयी । विवेचना में उपरोक्त कथित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य उनके घटना में शरीक होने का या घटना करने का नहीं पाया गया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है । विवेचना अभी प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया विकास खण्ड सीयर के नगर पंचायत बिल्थरा रोड में खोले गये धान क्रय केन्द्रों का विवरण

47–श्री अफजाल अहमद–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत नगर पंचायत बिल्थरा रोड में कितने धान क्रय केन्द्र वर्तमान समय में संचालित हैं तथा उनके द्वारा कितने धान की खरीद की गई है ? क्या यह सही है कि उक्त धान क्रय केन्द्र न तो कभी खोला जाता है और न ही धान की खरीद की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त विकास खण्ड में समुचित धान क्रय केन्द्र संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत नगर पंचायत बिल्थरा रोड में निम्नलिखित क्रय केन्द्र खोलकर उनके सम्मुख उल्लिखित मात्रा में धान की खरीद की गई है :–

हाट शाखा	मात्रा
1–बिल्थरा रोड	32.00 मी० टन
2–क्रय-विक्रय सहकारी समिति बिल्थरा रोड	126.44 मी० टन
3–सहकारी संघ लि०, सीयर	84.64 मी० टन
कुल	243.08 मी० टीन

उपरोक्त विवरण के अनुसार धान की खरीद की गई है अतः क्रय केन्द्रों के न खुलने व खरीद न होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वहीद भारत टाइम्स साप्ताहिक समाचार के सम्पादक की सुरक्षा व अभियुक्तों की गिरफ्तारी संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

48–श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क-2-10209309, दिनांक 18-9-2000 जो वहीद भारत टाइम्स साप्ताहिक समाचार के सम्पादन की सुरक्षा व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मा० विधायक का पत्र संख्या–क–2-209309, दिनांक 18-9-2000 श्री अब्दुल वहीद, सम्पादक, वहीद भारत टाइम्स के प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-8-2000 के साथ प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ से करायी गयी । आवेदक द्वारा दी गई तहरीर में अंकित तथ्यों के आधार पर थाना कैसरबाग में मु०अ०सं०–188/2000 अन्तर्गत धारा 52ए/62 कापीराइट एक्ट पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा दी गई एक अन्य तहरीर पर दिनांक 10-8-2000 को थाना–कैसरबाग में मु०अ०सं०–207/2000 धारा 506 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें कोई जानकारी प्राप्त न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है । वहीद भारत टाइम्स साप्ताहिक समाचार के संपादक की सुरक्षा हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद में शस्त्र लाइसेन्स के आवेदन-पत्रों की जानकारी

49 डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फिरोजाबाद में शस्त्र लाइसेंस हेतु एक जनवरी, 1998 से एक दिसम्बर, 2000 तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि के अनेकों प्रार्थना-पत्र लम्बित पड़े हैं ? यदि हां, तो उसमें अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के कितने मामले लम्बित हैं ? उक्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत अवधि में कुल 4308 प्रार्थना-पत्र फिरोजाबाद जनपद में प्राप्त हुये ।

जी हां । कतिपय प्रार्थना-पत्र कार्यवाही में लम्बित है ।

शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियमावली, 1962 में लाइसेन्स हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र में जाति के कालम का उल्लेख नहीं है जिससे प्रश्नगत जाति के लम्बित मामलों का विवरण दिये जाने में कठिनाई है ।

शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु पुलिस एवं राजस्व विभाग की संस्तुति प्राप्त होने के बाद आयुध अधिनियम की धारा–13 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदक को शस्त्र/लाइसेन्स की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन भी नितान्त आवश्यक होता है जिसकी संतुष्टि हेतु कतिपय अन्य बिन्दुओं पर जांच/सूचना भी अपेक्षित हो सकती है । उक्त के दृष्टिगत समस्त लम्बित शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों के अन्तिम निस्तारण हेतु कोई सुनिश्चित समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जनपद जालौन दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण व उन्मूलन हेतु मानक के अनुसार हेड कान्सटेबिल/उपनिरीक्षक की तैनाती संबंधी जानकारी

50. श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन कई दशकों से दस्यु प्रभावित होने के कारण दस्यु समस्या पर प्रभावी नियंत्रण व उन्मूलन हेतु क्या मानक के अनुसार आरक्षक, हेड कान्सटेबिल उपनिरीक्षक तथा निरीक्षकों की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मानक को पूर्ण करते हुए 50 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र वाले उपनिरीक्षकों से थाने का कार्यभार हटाकर युवा निरीक्षकों की उक्त जनपद में तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

पुलिस बल की कमी के कारण सम्प्रति युवा उपनिरीक्षकों की अत्यन्त कमी के कारण उक्त कार्यवाही संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में महिलाओं पर निरन्तर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय

51.–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की महिलाओं पर निरन्तर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार कोई कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन के थाना डकोर के ग्राम चिल्ली में महिला स्वास्थ्य कर्मी ऊषा किरन बाजपेयी के साथ शराब पीकर नशे की हालत में अश्लील हरकतें करके गोली मारकर अपंग बना दिये जाने की घटना के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करके पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए निम्नवत् उपाय किये गये हैं :–

(1) प्रदेश के प्रमुख परिक्षेत्रों के जनपदों में एक-एक महिला थाने की स्थापना की गयी है । लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी व फैजाबाद में 11 महिला थाने कार्यरत हैं ।

(2) अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय, लखनऊ में महिला सहायता प्रकोष्ठ है, जिसके पांच जोनल कार्यालय लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर व गोरखपुर में कार्यरत हैं ।

(3) महिला सहायता प्रकोष्ठ के अधीन एक परिवार परामर्श केन्द्र की भी स्थापना की गई है जिसमें दो प्रशिक्षित सलाहकार नियुक्त हैं, जो परिवारों को उचित परामर्श देकर उनके टूटने से बचाने का प्रयास करते हैं ।

(4) प्रत्येक जनपद में एक महिला सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं ।

इस घटना के नामजद अभियुक्त आरक्षी वीरेन्द्र सिंह को दिनांक 10-12-2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्तगण आरक्षी स्वामीदीन, आरक्षी अरविन्द कुमार एवं आरक्षी श्रीराम यादव मा० न्यायालय सी०जे०एम० उरई, जालौन के न्यायालय में विभिन्न तिथियों में आत्मसमर्पण किया । इस

प्रकरण में अब मात्र साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाना शेष है। पीड़ित महिला को दिनांक 14-12-2000 को चिकित्सा व्यवस्था हेतु 20,000/-नकद भुगतान किया गया है तथा मुख्य मंत्री कोष से रु० 5,000/-स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर थाना कोतवाली अन्तर्गत मरे हुए व्यक्ति को जीवित दिखाकर जमीन अपने नाम करने संबंधी कथित प्रकरण

52-श्री विजय पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली अन्तर्गत तीन जुलाई, 2000 को धारा 120 बी 467, 471, 419, 420 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मरे हुए व्यक्ति को जीवित दिखाकर जमीन अपने नाम कराये जाने के सम्बन्ध में जितेन्द्र जायसवाल पुत्र बद्री प्रसाद जायसवाल निवासी दिलेजाकपुर शाहबुद्दीन पुत्र गुलजार निवासी उनौला खुर्द इन्द्र देव सिंह पुत्र स्व० बेली सिंह खड़राडनक सोत आधा दर्जन व्यक्तियों के विरुद्ध जालसाजी की नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

53-श्री उदय राज यादव-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

54-श्री उदय राज यादव-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

श्री उबैदुर्रहमान सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

55-श्री उदय राज यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उबैदुर्रहमान सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 1-5-2000 जो श्री सालिक राम पुत्र श्री शिवनाथ, निवासी ग्राम मकदूमपुर कैथी विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ की मृत्यु बिजली विभाग की लापरवाही होने के कारण एफ० आई० आर० दर्ज करने के संबंध में था, जिसकी प्रति जिलाधिकारी लखनऊ, एस०एस०पी० लखनऊ, थाना बन्थरा लखनऊ तथा माननीय ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया। इस घटना के संबंध में जांच से पाया गया कि श्री सालिक राम का पुत्र ओम प्रकाश दिनांक 4-3-85 को अपने ट्यूबवेल के पास के खेत में बरसीम काटने गया था एवं अचानक खेत में स्थित अर्थिंग तार में करेन्ट उतर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। मृतक के पिता श्री सालिक राम द्वारा लिखित सूचना दी गयी थी कि घटना अचानक घटित हुयी है, इसमें किसी का दोष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को किराया रहित आवास/विशेष किराये की सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी

56. श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सुरक्षा कार्यों से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जा रही किराया रहित आवास अथवा ऐसा आवास उपलब्ध न होने पर विशेष किराया भत्ता दिए जाने की सुविधा समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? शासन की इस संबंध में वर्तमान नीति क्या है ? किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रदेश सरकार की वर्तमान नीतियों के अनुरूप किराया रहित आवास/विशेष किराये की सुविधा उपलब्ध है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समस्त अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों को निःशुल्क आवास की सुविधा अनुमन्य है । शासनादेश सं०–जी–1–373/दस–99–205–99 दिनांक 11-6-99 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को, जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है । यह सुरक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों सहित सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुमन्य है ।

प्रदेश में बी०आई०पी० ड्यूटी पर लगे गनर, शैडो को ड्यूटी भत्ता प्रदान करने संबंधी जानकारी

57–श्री उदय राज यादव तथा श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० आई० पी० ड्यूटी पर लगे गनर, शैडो व अन्य को ड्यूटी भत्ता (डी०ए०) शासनादेश दिनांक 1-6-99 के अनुसार दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि किराया बढ़ जाने के पश्चात भी टी० ए० पुरानी दरों पर दिया जा रहा है ? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करते हुए नये शासनादेश के अनुसार डी० ए० का भुगतान कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–सा–4-395/दस–99-600-99 दिनांक 11-6-99 के द्वारा नये वेतनमान के अनुसार अनुमन्य यात्रा भत्ता समस्त राज्य कर्मचारियों की भांति बी०आई०पी० ड्यूटी पर लगे गनर, शैडो व अन्य को भी दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बाराबंकी निवासी ग्राम व थाना बदोसराय श्री ईश्वरदीन द्वारा 'मुख्य मंत्री के जनता दर्शन' में दर्ज मुकदमें की जानकारी

58. श्री सरवर अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ईश्वरदीन निवासी ग्राम व थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी की तरफ से ग्राम वासी मोहम्मद यूनुस आदि के विरुद्ध थाना बदोसराय में "मुख्य मंत्री के जनता दर्शन" दिनांक 31-7-2000 के आदेशानुसार एक प्राथमिकी मु० अ० सं०–99/2000 धारा–365/467/468/471/506 भा०द०वि के अन्तर्गत दिनांकित 25 अगस्त 2000 को पंजीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां !

मुकदमें की विवेचना की गयी तथा विवेचनोपरान्त प्रकरण का झूठा पाकर अंतिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दिया गया झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप पर ईश्वरदीन के विरुद्ध धारा–182 आई०पी०सी० की कार्यवाही की गयी ।

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव निवासी गोरखपुर को पुलिस हिरासत में रखे जाने संबंधी जानकारी

59. श्री राजपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14/15 सितम्बर, 2000 की रात्रि को प्रदेश महासचिव (राष्ट्रीय लोकदल) श्री केदार नाथ यादव, उत्तरी फाटक, मियां बाजार, गोरखपुर को उठाकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर द्वारा 10 घण्टे पुलिस हिरासत में रखा गया था ? यदि हां, तो क्या अकारण किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को थाने (हवालात) में 10 घण्टे बन्दी बनाये रखने वाले क्षेत्राधिकारी (पुलिस) के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं, बल्कि दिनांक 14/15-9-2000 को श्री केदार नाथ यादव निवासी मुहल्ला मियां बाजार थाना कोतवाली गोरखपुर कैन्ट में हुई रु० 4,15,000/ की लूट की घटना में नामित अभियुक्त को पनाह देने के रूप में प्रकाश में आये इस परिपेक्ष्य में सत्यता की जानकारी एवं पूछ तांछ हेतु क्षेत्राधिकारी कोतवाली गोरखपुर द्वारा श्री यादव को बुलाया गया था ।

श्री केदार नाथ यादव द्वारा पूछ-तांछ के दौरान यह बात स्वीकार की गयी कि पूर्व में अभियुक्त ब्रह्मा व राकेश उनके यहां रहते थे, वर्तमान में नहीं रहते हैं । श्री केदार नाथ यादव को पूछतांछ के बाद सुसम्मान वापस भेज दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के वजीरगंज 79–एनीबसेन्ट स्कूल निवासिनी श्रीमती तहरून निशा द्वारा दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमें की जानकारी

60. श्री राजपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती तहरून निशा निवासिनी 79–एनीबसेन्ट स्कूल, एल० पी० रोड, वजीर गंज लखनऊ द्वारा दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री नौशाद खां के ऊपर दर्ज अपराध संख्या 195/2000 के धारा 147/452/323/504/506/427 आई०पी०सी० के अन्तर्गत न्यायालय ए०सी०जे०एम० तृतीय लखनऊ ने दिनांक 30-8-2000 को कुर्की/वारन्ट का आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो अब तक कुर्की/वारन्ट/अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करने में कौन-कौन दोषी हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम–111 द्वारा दिनांक 30-8-2000 को धारा 82 सी०आर–पीसी के अन्तर्गत उद्घोषणा (इस्तेहार) जारी की गयी थी । कुर्की जारी नहीं की गयी थी ।

दिनांक 9-8-2000 को मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम०–111 द्वारा गैर जमानती वारन्ट जारी किया गया था जिसकी तामीली हेतु काफी प्रयास के बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न हो सकी । दिनांक 30-8-2000 को धारा 82 सी०आर–पीसी के अन्तर्गत मा० न्यायालय द्वारा उपरोक्त उद्घोषणा जारी की गयी । दिनांक 15-9-2000 को इसकी तामीली करायी गयी । दिनांक 21-9-2000 को अभियुक्त श्रीमती शहजादी, श्रीमती जुन्नू व श्रीमती नहसीन बानों की गिरफ्तारी की गयी तथा अभियुक्त श्रीमती जरीना को दिनांक 23-9-2000 को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त नौशाद उर्फ सल्लन खां, शब्बन खां एवं अल्लन खां के विरुद्ध दिनांक 30-9-2000 को न्यायालय ए०सी०जे०एम०–111 में वारन्ट कुर्की हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, परन्तु कुर्की के आदेश नहीं मिल सके । पुनः दिनांक 7-10-2000 को कुर्की के आदेश प्राप्त करने का प्रयास किये जाने पर मा० न्यायालय द्वारा बताया गया कि अभियुक्तों द्वारा आत्मसमर्पण हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है । अतः प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के बाद ही वारन्ट कुर्की के आदेश जारी किये जा सकते हैं । इस प्रकार वारन्ट कुर्की के आदेश न्यायालय से प्राप्त नहीं हो सके । दिनांक 18-10-2000 को अभियुक्त शब्बन खां तथा अल्लन खां द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया तथा अभियुक्त नौशाद ने दिनांक 1-11-2000 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है । इस प्रकार सभी अभियुक्तगणों के न्यायिक हिरासत में आ जाने पर दिनांक 3-11-2000 को आरोप पत्र सं०–276/2000 न्यायालय प्रेषित किया गया । कोई व्यक्ति कार्यवाही न करने हेतु दोषी नहीं पाया गया है ।

प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की गयी है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ए०जी० बनर्जी, सेवानिवृत्त जेलर के पेंशन निर्धारण संबंधी जानकारी

61 श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए० जी० बनर्जी, सेवानिवृत्त जेलर द्वारा लोक निर्माण विभाग में की गयी पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए उनके पेंशन का निर्धारण किए जाने सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन किए जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-7-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तदनुसार लाभार्थी की पेंशन का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जी हां ।

मामले में पूर्व सेवा जोड़े जाने के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी थाना बेवर के श्री उपदेश सिंह चौहान व श्री शिवराज सिंह चौहान के गिरोह के विरुद्ध एस०एस०पी० को दिये गये निर्देश पर कृत कार्यवाही का विवरण

62–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के 2रे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपदेश सिंह चौहान उर्फ पी० टी० आई० के गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा एस०एस०पी० मैनपुरी को कब और क्या निर्देश दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त लोगों के विरुद्ध सरकार के निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–24 के उत्तर के संबंध में प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में शासन द्वारा दि० 14-12-98 को निम्नवत् निदेश दिये गये :–

(1) श्री उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा व श्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी०टी०आई०, मैनपुरी के गिरोहों के असलहों के दुरुपयोग का तथ्य यदि सही है तो इनके वैध लाइसेन्स निरस्तीकरण तथा अवैध हथियारों को जब्त करने के संबंध में की गयी कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जावे ।

(2) श्री उपदेश सिंह चौहान तथा श्री शिवराज सिंह चौहान की प्राइवेट बसें जो बिना परमिट के सड़कों पर सवारियां लेकर शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाते हैं, के संबंध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाये ।

इनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत् है :–

उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा तथा शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी०टी०आई० व इनके परिवार के सदस्यों में से निम्न के पास शस्त्र लाइसेन्स थे :–(1) शिवराज सिंह उर्फ पी०टी०आई० के पास राइफल (2) दिनेश सिंह के पास रिवाल्वर (3) बिजेन्द्र सिंह उर्फ भल्लू के पास रिवाल्वर (4) गजेन्द्र सिंह, जिनकी हत्या हो चुकी है के पास राइफल थी, (5) सत्येन्द्र सिंह उर्फ टीनू के पास राइफल एवं (6) श्रीमती वीना कुमारी के पास राइफल थी । इन सभी के शस्त्र लाइसेन्स के निरस्त्रीकरण की आख्या जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी को प्रेषित की गयी थी जिसके आधार पर सभी के शस्त्र लाइसेन्स दिनांक 13-9-97 को निलम्बित किये जा चुके हैं ।

उपदेश सिंह चौहान एवं शिवराज सिंह चौहान तथा उनके परिवार के लोगों के नाम चल रही बसों की अनियमितता बरतने पर पूर्व में ही चालन किया गया है तथा समय-समय पर उनके चालान भी किये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी थाना बेवर के निवासी चिलौसा/ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या काण्ड के संदर्भित व्यक्तियों को गनर प्रदान किये जाने का औचित्य

63–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के 2रे सोमवार हेतु निर्धारित अनारक्षित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री उपदेश खलीफा, शिवराज सिंह पी० टी० आई० एवं प्रेमपाल सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी चिलौसा थाना बेवर जनपद मैनपुरी को गनर प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें गनर दिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री उपदेश खलीफा एवं श्री शिवराज सिंह पी०टी०आई० को वर्तमान में गनर प्रदत्त है । श्री प्रेमपाल सिंह का गनर वापस कर लिया गया है ।

व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के दृष्टिगत सुरक्षा प्रदान की गयी है ।

जनपद मैनपुरी ब्लाक सुल्तानगंज मौजा आलीपुर पट्टी के नगला खन्दारी निवासी श्री चुन्नी लाल से सहकारिता विभाग द्वारा ऋण की गलत वसूली संबंधी जानकारी

64–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी ब्लाक सुल्तानगंज मौजा आलीपुर पट्टी के नगला खन्दारी के निवासी श्री चुन्नी लाल से सहकारिता विभाग द्वारा ऋण की गलत वसूली किये जाने विषयक उनका शिकायती-पत्र जो प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ मुख्यमंत्री को दिया गया था क्या उक्त पत्र मुख्यमंत्री के पत्रांक सी०एम०वि०को०एम–2/37024/मैनपुरी/2000/दिनांक 3-9-2000 के साथ सहकारिता सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

शिकायती-पत्र की जांच अपर जिला सह० अधिकारी से कराकर सदस्य के खाते में वसूल की गयी धनराशि का अंकन करा लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में अभियुक्तगणों द्वारा थानाध्यक्ष पर चलायी गयी गोली संबंधी प्रकरण

65–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 172/98 धारा 147/148/149/307 आई०पी०सी० एवं/क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट थाना-बेवर, मैनपुरी के केस में तत्कालीन थानाध्यक्ष पर अभियुक्तगणों ने गोली चलाई थी ? यदि हां, तो क्या किसी अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त केस के फरार/वांछित अभियुक्तों को सरकार द्वारा गनर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

किसी भी व्यक्ति को गनर की सुविधा उसकी सुरक्षा हेतु जीवन भय मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है । इसी आधार पर उन्हें गनर की सुविधा प्रदत्त है ।

जनपद मैनपुरी में कतिपय लोगों को शस्त्र लाइसेन्स देने का जिलाधिकारी में निहित अधिकार

66–श्री रामऔतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दीपेन्द्र सिंह, लखन सिंह, रामस्वरूप, हाकिम सिंह, गिरन्द सिंह के स्वीकृत आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स निर्गत करने के निर्देश जिलाधिकारी मैनपुरी को दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा संदर्भित प्रश्नगत प्रकरण जिसमें इस प्रश्न संख्या–66 में वर्णित नामों का भी उल्लेख था, पर दिशा निर्देश मांगे गये थे । इसमें शासन के पत्र दिनांक 14-3-2000 द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट मैनपुरी को शस्त्र नियमों के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे क्योंकि सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्व होने एवं लाइसेन्स की आवश्यकता के आधार पर व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्स जारी करने का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट में ही निहित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दयाराम चौधरी हेतु गनर की व्यवस्था

67-श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दयाराम चौधरी पूर्व एम० एल० सी० वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष जनपद बस्ती को गनर उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा वांछित सूचना को पुलिस अधीक्षक बस्ती तथा जिलाधिकारी बस्ती द्वारा माह अक्टूबर, 2000 को उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

श्री चौधरी को 10 प्रतिशत निजी व्यय पर एक गनर की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, जो वर्तमान में भी अनुमन्य है ।

जनपद बलरामपुर तहसील–उतरौला ग्राम टेढ़वा तप्पा बांक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

68-श्री उबैदुर्रहमान–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या–सी०एम०वि०को०/एम-2/-36835/गोण्डा/2000/दिनांक 30-8-2000 के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है जो ग्राम टेढ़वा तप्पा बांक तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच उप जिलाधिकारी उतरौला द्वारा जांच टीम गठित करके करायी गयी । जांच में प्राप्त अनियमितताओं पर उप जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत टेढ़वा तप्पा बांक के उचित दर विक्रेता तथा फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं पर क्रमशः रु० एक हजार तथा रु० पांच सौ का अर्थदण्ड देकर उक्त धनराशि शासन के पक्ष में जमा करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद कुशीनगर में (जलाकर) नष्ट की गयी कमाण्डर जीप के स्थान पर नयी जीप क्रय करने हेतु धनराशि की मांग

69–श्री बादशाह सिंह, श्री शिवपूजन राम तथा श्री जय प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-8-2000 को गन्ना किसानों व मिल मजदूरों के बकाया को लेकर दंगाइयों ने पडरौना नगर जनपद कुशीनगर में यू०पी० 52/8597 कमाण्डर जीप जो

किसी जनप्रतिनिधि की थी, को जलाकर नष्ट कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें नई जीप क्रय करने हेतु धनराशि दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था का प्राविधान नहीं है ।

जनपद रायबरेली थानाध्यक्ष मोहनगंज के विरुद्ध जांच

70–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का उपरिपत्र जिस पर कम्प्यूटर सं०–सी०एम०वि०को०/एम-39418 सुल्तानपुर दिनांक 16-11-2000 जो थाना–मोहनगंज, रायबरेली के विरुद्ध जांच के आदेश प्रमुख सचिव, गृह को दिये गये थे, की जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच के बाद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर प्राप्त आदेशों के अनुपालन में उसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक, रायबरेली से करायी गयी । जांच अधिकारी की संस्तुति पर थाना–मोहनगंज पर मु०अ०सं०–8/2001 धारा–211/219/343/389/323/504/506 भा०दं०वि० विरुद्ध अनिरुद्ध कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, मोहनगंज, उपनिरीक्षक ना०पु० अशोक चन्द्र दुबे, कां० ना०पु० मिथलेश पाण्डेय का अभियोग रामबरन सिंह, निवासी ग्राम–कटोरवा के पूर्व में दिये गये प्रार्थना-पत्र के तथ्यों के अनुसार पंजीकृत करा दिया गया है । इस अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, महराजगंज द्वारा की जा रही है ।

जांच के बाद श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह, थानाध्यक्ष मोहनगंज को थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तथा उन्हें गैरजनपदीय तैनाती देकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु भी निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के आदर्शनगर निवासी श्री शिवशंकर गुप्ता के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें की पुनः विवेचना के आदेश

71–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवशंकर गुप्ता पुत्र श्री राम प्रकाश गुप्ता, 41वीं, आदर्श नगर गली नं०–9, फिरोजाबाद के पत्र पर विधायक प्रकोष्ठ के पत्र सं० सी०एम०वि०को०/एम/39419 सुल्तानपुर दिनांक 16-11-2000 जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिये गये थे पर कब मुकदमा पंजीकृत कर जांच की गयी ? यदि मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आदेश पर रिपोर्ट न दर्ज करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री शिवशंकर गुप्ता नि०–41 बी, आदर्शनगर, गली नं०–9 फिरोजाबाद के प्रार्थना-पत्र पर विधायक प्रकोष्ठ के संदर्भित पत्र दिनांक 16-11-2000 मुकदमा दर्ज करने के लिए दि० 26-11-2000 को प्राप्त हुआ था, जिस पर दि० 27-11-2000 को थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद पर मु०अ०सं०–470/2000 धारा 302/120बी/201 भा०दं०वि० का मुकदमा अनिल कुमार गुप्ता आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया

तत्कालीन विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं०–2 दि० 5-1-2001 को रोक कर पुनः विवेचना के आदेश दिये गये हैं, जिस पर विवेचना वर्तमान में प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम हेतु कानून व्यवस्था में सुधार

72 श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में 20 दिसम्बर, 1997 से 20 दिसम्बर, 2000 तक अपहरण, राहजनी, डकैती, हत्याओं तथा बलात्कार के कितने मामले वर्षवार दर्ज हुए हैं ? क्या यह सही है कि पूर्व वर्षों की अपेक्षा वर्ष 2000 की उक्त अवधि में इनकी संख्या बढ़ी है ? यदि हां, तो क्या कानून व्यवस्था सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

विवरण संलग्न है ।

जैसा कि संलग्न आंकड़ों से स्पष्ट है पूर्व वर्षों की अपेक्षा डकैती हत्या एवं अपहरण के मामलों की संख्या कुछ घटी है, जबकि राहजनी तथा बलात्कार की संख्या में वर्ष 2000 में कुछ वृद्धि हुई है ।

कानून व्यवस्था सुधारने हेतु नियमित रूप से समस्त अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों की गोष्ठी करके थानावार अपराधों की समीक्षा की जाती है । शहरी क्षेत्र में प्रभावी पीकेट गश्त व चेकिंग की व्यवस्था करायी गयी है । पुलिस पेट्रोल कारों द्वारा नियमित गश्त करायी जाती है । भीड़ वाले स्थानों, बाजारों व तंग गलियों में मोटर साइकिलों पर पुलिस बल नियुक्तकर कोबरा मोबाइल का गठन किया गया है जिनके द्वारा नियमित रूप से गश्त व चेकिंग करायी जाती है । शहर से बाहर जाने वाले मार्गों पर बैरियर लगाकर सीमाओं को सील करने की व्यवस्था है । आकस्मिक रूप से चेकिंग स्कीमों को लागू कर सिनेमा हाल, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थल आदि पर चेकिंग व्यवस्था करायी जा रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइलों में पुलिस बल नियुक्त कर चेकिंग व गस्त की व्यवस्था करायी गयी है । बीहड़ क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण (पूर्वी)/क्षेत्राधिकारियों के निर्देश में पी०ए०सी० के साथ कोम्बिंग कराई जाती है । स्पेशल आप्रेशन ग्रुप के पुलिस कर्मियों द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु सक्रिय अभियान चलाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे 86 पृष्ठ पर ।)

जनपद गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित मेरूण्ड गांवों को बाढ़ राहत राशन एवं मिट्टी तेल वितरण संबंधी जानकारी

73–श्रीमती गौरी देवी–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत भरपही जिला-गोरखपुर में वर्ष 2000 की बाढ़ से प्रभावित मेरूण्ड गांवों को बाढ़ राहत राशन एवं मिट्टी के तेल का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक राशन एवं 5 ली० प्रति परिवार मिट्टी के तेल का वितरण किया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

न्याय पंचायत भरपही जिला गोरखपुर के राजस्व ग्राम–रन्दौली उर्फ मठियां में 21, लोनिया में 278, रानीखोर में 189, मंझरिया माफी में 21, अमिलडीहा में 66, कुसमौल में 53 मुहम्मदपुर में 131, मइल में 160, भुआशहीद में 15 परिवारों को प्रति परिवार 15 किलोग्राम चावल, एक पैकेट नमक तथा एक अदद माचिस के हिसाब से राहत सामग्री का दिनांक 27-9-2000 से 29-9-2000 तक वितरण किया गया है। इस न्याय पंचायत में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिट्टी के तेल का वितरण नहीं किया गया है।

जनपद रायबरेली थाना नसीराबाद में दर्ज फर्जी मुकदमें की उच्च स्तरीय जांच

74–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र पर सी०एम०वि०को०/ एम/दिनांक 22-11-2000 द्वारा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को अप० सं० 126, 127,128, थाना–नसीराबाद जनपद–रायबरेली की जो एक ही दिन में फर्जी तीन मुकदमा दर्ज करने की शिकायत के सम्बन्ध में है, की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत पत्र संख्या–सी०एम०वि०को/एम–1/39568/सुल्तानपुर/2000, दिनांक 22-11-2000 पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी, सलोन से करायी गयी।

जी हां, जांच आख्या की प्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 87-88 पर।)

श्री लाल प्रताप सिंह, मो० टक्कर कोतवाली नगर प्रतापगढ़ के हत्या की रिपोर्ट न लिखने संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

75 श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र सहित श्री लाल प्रताप सिंह, मो० टक्कर, कोतवाली नगर प्रतापगढ़ का प्रार्थना-पत्र सी०एम०वि०को०/एम/40070/सुल्तानपुर, 2000 डी०आई०जी०, लखनऊ को प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 12-12-2000 को हत्या की रिपोर्ट न लिखने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

शिकायतकर्ता श्री लाल प्रताप सिंह, मो० टक्कर, कोतवाली नगर प्रतापगढ़ के शिकायत के आधार पर प्रश्नगत घटना पर थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ में मु०अ०सं०–84/2001 धारा 302/129बी भा०द०वि० पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर प्रतापगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल में हाटा से कप्तानगंज-सिसवा बाजार तक चलने वाली प्राइवेट बसों की जानकारी

76-श्री दीप लाल भारती-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मण्डल में हाटा से कप्तानगंज होकर सिसवा बाजार तक कुल कितनी प्राइवेट बसें चलती हैं ? उसमें से कितनी स्वीकृत है ? क्या उक्त रूट पर डग्गामार बसें बिना परमिट की चलती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना परमिट की बसों पर अंकुश लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

हाटा से कप्तानगंज होकर सिसवा बाजार तक कोई प्राइवेट बस नियमित संचालित नहीं है और न ही कोई परमिट स्वीकृत है ।

चेकिंग के दौरान प्रश्नगत मार्ग पर 6 बसें बिना परमिट संचालित पायी गयी जिन्हें विभिन्न थानों में चालान करके बन्द किया गया ।

जी हां, चेकिंग के दौरान मार्ग पर 6 बसें बिना परमिट संचालित पायी गयी, जिन्हें थानों में बन्द किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर विकास खण्ड श्री दत्तगंज उतरौला गैडास बुजुर्ग के ग्रामीण परिवारों हेतु राशन कार्ड की व्यवस्था

77-श्री उबैर्दुरहमान-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के विकास खण्ड श्री दत्त गंज, उतरौला गैडास बुजुर्ग के ग्रामीणों के परिवारों के राशन कार्ड बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त राशन कार्ड कब तक बना दिये जायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदार के विरुद्ध जांच संबंधी शिकायती-पत्र की जानकारी

78-श्री उबैर्दुरहमान-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या क-1 नं० 187425 दिनांक 23-8-2000 जो जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदार रामचन्द्र निवासी पुरैना, बुलन्द द्वारा की जा रही काला बाजारी व भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, विधायक कोष्ठक के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर उपजिलाधिकारी, उतरौला द्वारा एक जांच टीम गठित करके जांच कराई गई । जांच में रामचन्द्र के नाम-से कोई उचित दर की दुकान कार्यरत नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर कोतवाली उतरौला के मोहल्ला रफीनगर के श्री मस्तलाल पुत्र सेतूराम को आरक्षी श्री अशोक कुमार द्वारा मारपीट करने संबंधी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

79–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक पत्र संख्या सी० एम०/वि० को०/एम–2/36836/गोण्डा 2000 दिनांक 30-8-2000 जो कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के आरक्षी अशोक द्वारा एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री भरत लाल पुत्र सेतू राम निवासी मोहल्ला रफी नगर को अनावश्यक मारपीट करने की जांच करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी उतरौला जनपद बलरामपुर द्वारा कराई गई । जांच से आरक्षी अशोक कुमार द्वारा आवेदक श्री भरत लाल को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, भद्दी-भद्दी गालियां देने व लात घूसों से मारने की बात प्रकाश में नहीं आयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई ग्राम बोगांव जारो थाना कासिमपुर के निवासी श्री महताब के परिवार का स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बोगांव जारो थाना कासिमपुर जनपद हरदोई निवासी महताब पुत्र श्री इन्तियाज तथा मुन्नी लाल व उसकी पत्नी का स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह अगस्त, 2000 से नवम्बर, 2000 के मध्य मा० मुख्यमंत्री/पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

मा० विधायक का पत्र पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के पत्र दिनांक 11-9-2000 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, हरदोई को प्राप्त हुआ था, जिसमें मुन्नी लाल पुत्र श्री बल्दी, ग्राम बोगांव जोत को फर्जी फंसाने की जांच जनपद के किसी अन्य थाने से कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना थाना कासिमपुर से हटाकर थाना सण्डीला के वरिष्ठ उपनिरीक्षक से करायी गयी । जांच में दोषी पाये गये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–95 दिनांक 24-10-2000 को न्यायालय में प्रेषित किया गया । श्री महताब पुत्र इन्तियाज तथा मुन्नी लाल व उसकी पत्नी का स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने संबंधी आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक क्षेत्र तहसील सण्डीला के मुरादनगर कताई मिल में कार्यरत पुलिस चौकी का स्थानान्तरण

81–श्री मुराद लारी–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला के मुरादनगर कताई मिल में विगत 20 वर्षों से कार्यरत पुलिस चौकी को सैफ ईस्ट कम्पनी के कैम्पस में स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पुलिस चौकी पुनः पुराने स्थान पर स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

कताई मिल बन्द हो जाने के कारण सैफ ईस्ट कम्पनी के पास स्थित उसके भवन में अस्थाई तौर पर सुरक्षा एवं उपयोगिता के दृष्टिकोण से उक्त पुलिस चौकी स्थानान्तरित कर दी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि कताई मिल बन्द पड़ी है और गतिविधियां शून्य हैं । अतः वर्तमान स्थान पर ही पुलिस चौकी की उपयोगिता है ।

82–कुंवर रेवती रमण सिंह–

। ।ले मंगलवार में अता० प्र० सं०–34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद फतेहपुर के जिला सहकारी बैंक लि० के सचिव/महाप्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

83–श्री चन्द्रेश पासवान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि० फतेहपुर के विरुद्ध महामंत्री कोआपरेटिव बैंक्स स्टाफ एसोसियेशन, उ० प्र० लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 20-5-99 द्वारा शिकायत की थी ? क्या जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ० प्र० फतेहपुर ने पत्रांक 765/6–सह०/अधि०/99-2000 दिनांक 12-7-99 द्वारा सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि०, फतेहपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं । अपितु प्रश्नगत शिकायतों की जांच हेतु जिला सहायक निबंधक फतेहपुर ने अपने पत्र संख्या–766/6–सह० दिनांक 12-7-99 द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की थी ।

जी हां ।

जांच रिपोर्ट अभिलेखों के आधार पर न होने व अपूर्ण होने के कारण जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां फतेहपुर की संस्तुति के अनुसार शिकायतों की जांच कर वास्तविकता के विषय में आख्या प्रस्तुत करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर कोतवाली अकबरपुर के ग्राम ससपना के श्री राम श्रृंगार की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

84–श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री राम श्रृंगार, निवासी–ग्राम–ससपना, कोतवाली–अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर को समनौनी को आराजी पर विपक्षीगणों द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के

सम्बन्ध में कोतवाली–अकबरपुर में मु०अ० संख्या 525/99, धारा–218, 420, 467, 468 भा०द०वि० 47 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दिनांक 03/7/99 को दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो दोषी जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

वादी श्री राम श्रृंगार उपाध्यक्ष निवासी मसपना थाना बेवाना जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा 156(3) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत न्यायालय सी०जे०एम० अम्बेडकर नगर से आदेश कराकर दिनांक 3-7-99 को मु०अ०सं०–525/99 धारा 218, 420, 467, 468/471 भा०द०वि० विपक्षीगण 1– आशा राम, 2 दया राम, 3 जवाहिर, 4 राम समुझ, 5 धुरई, 6 रामलाल लेखपाल, 7–गया प्रसाद लेखपाल के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । वादी व विपक्षीगण के मध्य गाटा सं०–86/2, 86/1, 86/3 तालाब व इससे लगी जमीन तथा इसमें लगे पेड़ों का विवाद है । इसी भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 1993 से दीवानी न्यायालय जूनियर डिवीजन अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में आशा राम बनाम राम सूरत उपाध्याय का मु० अ०स० 1589/93 विचाराधीन है । वादी द्वारा धारा 156(3) सी०आर०पी०सी० में आदेश करते समय यह तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था । प्रकरण न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन होने के कारण अभियोग में कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है । प्रश्नगत मामले में अन्तिम रिपोर्ट 57 दिनांक 30-8-2000 द्वारा विवेचना समाप्त की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

85 श्री शिव सिंह चक–

[1ले बुधवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

86 श्री दीप लाल भारती–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों एवं पंचायतों के मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के विरुद्ध जांच

87 श्री दीप लाल भारती–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–आडिट–1831/दस–94–304(25)/93, 24-6-94 द्वारा भ्रष्टाचार गबन, अनियमित नियुक्तियां करने के आरोप में निलम्बित मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (श्री अवधेश चन्द्र दुबे), उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतों के विरुद्ध विभागीय जांच करायी जा रही थी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)–

जी हां ।

जी हां, जांच रिपोर्ट के आधार पर शासकीय आदेश दिनांक 16 जून, 1997 द्वारा उनके एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से (जिसका प्रभाव भविष्य की वेतनवृद्धियों पर पड़ेगा) रोकते हुए एक भर्त्सना प्रविष्टि देकर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सहकारी समितियों/पंचायतों में निष्प्रयोज्य पड़ी जीप तथा उक्त वाहन के चालक के कार्य क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी

88–श्री दीप लाल भारती–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें मुख्यालय लखनऊ में जीप सं०–यू०पी० 32 ई–3722 दि० 2-2-97 से निष्प्रयोज्य पड़ी है ? यदि हां, तो उक्त वाहन से सम्बन्धित चालक से क्या कार्य लिया जा रहा है ? क्या सरकार 39 माह से खराब पड़े उक्त वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं ।

सम्बन्धित चालक श्री कौशल किशोर का स्थानान्तरण जनपद–सहारनपुर में कर दिया गया है ।

वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने सम्बन्धित शासनादेश संख्या–3817/30-4-24–के एम–86, दिनांक अक्टूबर, 31, 1986 के अनुसार यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों के पदनाम में परिवर्तन पर विचार

89–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० से अभियन्त्रण में डिप्लोमा प्राप्त समस्त कर्मचारियों को जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, नगर निगम आदि संस्थानों एवं विभागों में अभियन्त्रण की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त डिप्लोमा धारकों की भांति अवर अभियन्ता पदनाम दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में सिविल अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा प्राप्त कार्मिकों की नियुक्ति अवर अभियन्ता पद, वेतनमान रु० 4500–7625 (6375–9000 में 10 वर्ष बाद) एवं अभियंत्रण की विभिन्न शाखाओं में से केवल यांत्रिकी शाखा में डिप्लोमा प्राप्त कार्मिकों की नियुक्ति मैकेनिक/जूनियर फोरमैन पद, वेतनमान रु० 4500–7000 में होती है । अवर अभियन्ता की प्रोन्नति सहायक अभियन्ताओं व जूनियर फोरमैन की प्रोन्नति सीनियर फोरमैन के पद पर होती है । दोनों पदों के वेतनमान व प्रोन्नति में भिन्नता होने के कारण अभियंत्रण की अन्य शाखाओं में डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों तथा यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी मैकेनिक व जूनियर फोरमैन पदों का पदनाम बदलकर अवर अभियन्ता किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

प्रदेश के कतिपय मण्डलों में उ० प्र० सहकारी समितियों एवं पंचायत विभाग के निष्प्रयोज्य वाहनों विषयक जानकारी

90–श्री दीप लाल भारती–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के मेरठ, गोरखपुर व आजमगढ़ मण्डलों में कितने-कितने वाहन कितने-कितने समय से खराब पड़े हुये हैं ? उक्त

वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित न करने/मरम्मत न कराने का क्या कारण हैं ? क्या उक्त के लिए दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हैं, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं, कथित वाहन चालू हालत में हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में चौक से दुबग्गा मार्ग पर चल रहे टैम्पों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

91. श्री शिव सिंह चक–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में चौक से दुबग्गा बस सेवा उपलब्ध होने के बावजूद उक्त मार्ग पर टैम्पों भी चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शहर में बढ़ते हुये प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त मार्ग पर चल रहे टैम्पों पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

नगर बस मार्ग दुबग्गा–चौक–नख्खास–चारबाग–सदर–गोमतीनगर पर टैम्पो-टैक्सियों का संचालन निषेध है । अनाधिकृत रूप से संचालित पायी जाने वाली टैम्पो-टैक्सियों के विरुद्ध नियमानुसार चालान कर कार्यवाही की जाती है ।

जनपद लखनऊ में दुबग्गा से बरावन कलां तक नगर बसों के संचालन की मांग

92–श्री शिव सिंह चक–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में ग्राम बरावन कलां को फरवरी, 1987 में नगर निगम सीमा में सम्मिलित किये जाने के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन आने जाने के लिये कोई बस सेवा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार चारबाग से दुबग्गा जाने वाली बसों को बरावन कलां तक चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

दुबग्गा से बरावन कलां की दूरी 3 कि०मी० है । लखनऊ–काकोरी रोड पर दुबग्गा से एक कि०मी० आगे बरावन कलां को सड़क गयी है जहां से इसकी दूरी 2 कि०मी० है और सड़क की चौड़ाई इतनी नहीं है कि 2 बसें आ-जा सकें । एक बस एक तरफ से आने वाली तथा दूसरी तरफ से जाने वाली बस एक दूसरे को क्रास करते समय बस को सड़क से नीचे उतारना पड़ेगा जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है । अतः दुबग्गा से बरावन कलां तक नगर बस का संचालन सुरक्षित नहीं है ।

जनपद, थाना कोतवाली मैनपुरी के अपराध संख्या 967/99 की विवेचना सिविल पुलिस को सौंपने सम्बन्धी जानकारी

93. श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 8वें सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 967/99 धारा 302 आई०पी०सी०

थाना कोतवाली मैनपुरी के केस में सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा की जा रही विवेचना को निरस्त कर सिविल पुलिस को सौंप दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच/विवेचना एजेंसी में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

जनपद शाहजहांपुर थाना तिलहर के अपराध संख्या 109/88 में दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

94–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 109/88 थाना तिलहर जनपद–शाहजहांपुर के केस के अपराध अनुसंधान विभाग की जांच आख्या के गुण-दोष के आधार पर किये गये परीक्षण के क्रम में क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

थाना तिलहर शाहजहांपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०–109/88 धारा 302/364/201 भा०दं०वि० की अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की गयी जांच से दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है ।

प्रकरण में विभिन्न विभागों के कर्मियों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण कार्यवाही में कुछ समय लगेगा । अतः समय सीमा निर्धारित सम्भव नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्रीय कार्यशाला में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी जनों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

95–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् इलाहाबाद के शिकायती पत्र दिनांक 5-9-95 पर इलाहाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यशाला में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के प्रकरण में लिप्त पाये गये दोषी जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जांच में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही गतिशील है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

96–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद झांसी तहसील मोठ के ग्राम बाबई के श्री सत्यदेव तिवारी पुत्र श्री प्रेम नारायण तिवारी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण

97 श्री श्रीराम पाल–

क्या होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्यदेव तिवारी पुत्र श्री प्रेम नारायण तिवारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निवासी ग्राम बाबई तहसील मोठ जिला झांसी को राजनैतिक पेंशन उ० प्र० राज्य द्वारा दिये जाने हेतु जिलाधिकारी, झांसी का पत्र सं० टी०ए०सी० 18(73-74) दिनांक 15-12-1975, पत्र सं० 1184 टी०ए०सी० 18 (76-77) दिनांक 2-1-77 तथा पत्र सं० 308/73-74 दिनांक 10-12-93 उप सचिव उ० प्र० शासन गृह (सामान्य) अनुभाग–3 को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, झांसी के उक्त पत्रों तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से पारित आदेश रिट पिटीशन नं०–4497/1997 सत्यदेव तिवारी बनाम सचिव, भारत संघ आदि के अनुसार श्री सत्यदेव तिवारी को राजनैतिक पेंशन उ० प्र० सरकार द्वारा दी जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

जिलाधिकारी, झांसी का पत्र दिनांक 15-12-76 शासन को प्राप्त हुआ था । जिलाधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 15-12-75 व सं० 1134/टी०ए०सी०-18(76-77) दि० 2-1-77 तथा पत्र सं० 308/73-74 दि० 10-12-93 शासन को भेजे जाने की पुष्टि जिलाधिकारी, झांसी द्वारा नहीं की गई है । जिलाधिकारी, झांसी के पत्र सं० टी०ए०सी० 18(73-74) दि० 15-12-76 के परीक्षणोपरान्त एवं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका में पारित आदेश के अनुसार श्री तिवारी के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त श्री तिवारी की सजायाबी को अभिलेखीय पुष्टि न होने के फलस्वरूप श्री तिवारी को पेंशन देने का औचित्य नहीं पाया गया । अतः श्री तिवारी को राजनैतिक पेंशन उ०प्र० सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है ।

जनपद संत रविदासनगर भदोही में कोनिया धनतुलसी से इलाहाबाद एवं वाराणसी मार्ग पर बस सेवा को पुनः संचालित करने की मांग

98–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में कोनिया धनतुलसी से इलाहाबाद एवं वाराणसी को चलने वाली बसें बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार आवागमन की कठिनाइयों को देखते हुये उक्त बसों को पुनः चालू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

कोनिया धनतुलसी से इलाहाबाद तथा वाराणसी मार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवा कम आय प्राप्त होने के कारण क्रमशः फरवरी, 1991 तथा जून, 2000 से बन्द कर दी गयी ।

कोनिया धनतुलसी–वाराणसी मार्ग पर एक बस नवम्बर, 2000 से पुनः संचालित हो रही है । इलाहाबाद–वाराणसी मुख्य मार्ग पर पर्याप्त संख्या में निगम की बसें संचालित हैं । इस मार्ग पर स्थित जंगीगंज से कोनिया–धनतुलसी 26 कि०मी० की दूरी पर है, जिस पर पर्याप्त संख्या में निजी बसों के चलने के कारण निगम की बस पुनः संचालित करना निगम के हित में नहीं है ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के ग्रामीण अंचलों गोपीगंज धनतुलसी आदि मार्गों पर बसों के पुनः संचालन की मांग

99–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में मुख्यालय से ग्रामीण अंचलों गोपीगंज , धनतुलसी, भदोही, ज्ञानपुर को चलने वाली सिटी बसें बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो क्या क्षेत्र के नागरिकों की कठिनाइयों को देखते हुये उक्त बसों को पुनः चलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सन्त रविदास नगर भदोही मुख्यालय से ग्रामीण अंचलों गोपीगंज, धनतुलसी, भदोही, ज्ञानपुर के लिए सिटी बसों का संचालन नहीं होना था । निगम की बसें मैजिक्स गाड़ी के रूप में चलती थी । ज्ञानपुर मुख्यालय से भदोही, गोपीगंज, धनतुलसी के लिए बसों का संचालन अब नियमित रूप से हो रहा है ।

प्रदेश में जनपद मुख्यालयों से परिवहन बसों को चलाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

100–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद मुख्यालयों से परिवहन बसें चलाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो ज्ञानपुर मुख्यालय से वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर गाजीपुर, विन्ध्याचल, सोनभद्र तक बसों को चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त बसें कब से चलायी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में ज्ञानपुर होते हुये वाराणसी, इलाहाबाद तथा वाराणसी–कोनिया धनतुलसी मार्ग पर ही परिवहन निगम की एक-एक बस सेवा (वापसी) संचालित की जा रही है । इसके अतिरिक्त ज्ञानपुर से किसी अन्य मार्ग पर बस सेवा संचालित किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद संत रविदासनगर भदोही मुख्यालय ज्ञानपुर में बस डिपो का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

101 श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर भदोही मुख्यालय ज्ञानपुर में निर्माणाधीन बस डिपो आधा अधूरा बना है ? यदि हां, तो उक्त बस डिपो जिसमें लाखों रुपये व्यय हो चुके हैं का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं । बस डिपो का निर्माण हुआ ही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला, झूंसी, इलाहाबाद में अर्धरात्रि में हुयी चोरी की जांच

102–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला, झूंसी, इलाहाबाद में दिनांक 13/14 सितम्बर, 2000 की अर्धरात्रि को हुई चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाना में दर्ज करवायी गयी थी ? यदि नहीं, तो सीनियर फोरमेन द्वारा

लिखित रूप से सेवा प्रबन्धक को सम्बोधित पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्यशाला में घटित उक्त चोरी की घटना की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच-रिपोर्ट क्या है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सेवा प्रबन्धक के पत्र दिनांक 14-9-2000 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने को लिखित सूचना दी गयी थी ।

सीनियर फोरमैन ने इस घटना की लिखित सूचना दिनांक 14-9-2000 को सेवा प्रबन्धक को दी, जिसके आधार पर सेवा प्रबन्धक द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष सिविल लाइन इलाहाबाद को दिनांक 14-9-2000 को पत्र भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । जांच में परिवहन निगम का कोई भी कर्मचारी चोरी में सम्मिलित नहीं पाया गया और न ही निगम को कोई हानि हुई ।

जनपद इलाहाबाद में उ० प्र० रा० स० परिवहन निगम की बसों की नीलामी सम्बन्धी प्रकरण की जांच में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

103. श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष/मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् क्षेत्रीय कार्यशाला झूंसी, इलाहाबाद के शिकायती पत्र दिनांक 5-9-1995 पर दिनांक 02-06-1995 को तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक) तथा दिनांक 31-1-1996 को तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, द्वितीय उ० प्र० रा० स० परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा इलाहाबाद क्षेत्र से नीलाम में अच्छी बसें बेचियों की हेरा-फेरी, एल्यूमिनियम चद्दरें गायब करने, निगम में चोरी, राजस्व हानि से सम्बन्धित अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या रहा ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जांच में एल्यूमिनियम चद्दरें गायब करने, चोरी व राजस्व हानि से सम्बन्धित शिकायतें निराधार पायी गयी, परन्तु श्री ए०के० श्रीवास्तव तत्कालीन सेवा प्रबन्धक, इलाहाबाद को कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन किये जाने में घोर शिथिलता बरतने, अधीनस्थ स्टाफ पर अपेक्षित पर्यवेक्षकीय नियंत्रण न होने, मिर्जापुर डिपो की 26 बसों को बिना आर०आई० फिटनेस के 2 माह तक मार्ग पर संचालित किये जाने तथा इलाहाबाद क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारियों की प्रोन्नतियां उच्चानुमोदन प्राप्त किये बिना ही मनमाने ढंग से किये जाने का दोषी पाया गया जिसके लिए श्री श्रीवास्तव की चरित्र-पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० रा०स०प० निगम में सीनियर फोरमैन, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेवा प्रबन्धक क्षेत्रीय प्रबन्धक के रिक्त पदों की जानकारी

104–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० स०प० निगम में सीनियर फोरमैन, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेवा प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त पदों पर प्रोन्नति न करके प्रभारी नियुक्त करने के क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि अध्यक्ष, परिवहन निगम द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार प्रभारी पद समाप्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो अब पुनः प्रभारियों की नियुक्ति किन कारणों से की जा रही है ? क्या मंत्री जी निगम में प्रभारियों की नियुक्ति की प्रथा समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिमदन सिंह–

सीनियर फोरमैन के 06, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के 25, सेवा प्रबन्धक के ०४ तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक के 03 पद रिक्त हैं ।

उक्त पदों में से सीनियर फोरमैन के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही गतिशील है ।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के 03 संवर्ग हैं–संचालन, तकनीकी और वित्त । संचालन संवर्ग में रिक्त 19 पदों को भरे जाने हेतु सेवा विनियमावली में संशोधन की कार्यवाही प्रस्तावित है क्योंकि उसमें पोषक संवर्गवार निर्धारित पदों का आवंटन नहीं किया गया है । तकनीकी संवर्ग में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के 05 पद रिक्त हैं । इस संवर्ग के पोषक संवर्ग सीनियर फोरमैन ग्रेड–I की ज्येष्ठता निर्धारण का मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । वित्त संवर्ग में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के रिक्त 01 पद को भरे जाने की कार्यवाही गतिशील है ।

सेवा प्रबन्धक के रिक्त 04 पदों में से 03 पद अनुसूचित जाति के हैं और 01 पद सामान्य जाति का है । सेवा प्रबन्धक के पोषक संवर्ग सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (तकनीकी) की वर्ष 1984 तक) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है और सामान्य जाति के रिक्त 01 पद को भरे जाने की कार्यवाही गतिशील है । वर्ष 1984 तक की भर्ती की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी होने के बाद सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (तकनीकी) की भर्ती की ज्येष्ठता निर्धारण का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक के रिक्त 03 पदों में से 02 पद अनुसूचित जाति के और 01 पद सामान्य जाति का है । क्षेत्रीय प्रबन्धक के पोषक संवर्ग सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन) की वर्ष 1987 तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है और सामान्य जाति के रिक्त 01 पद को भरे जाने की कार्यवाही गतिशील है । वर्ष 1987 तक की भर्ती की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी होने के बाद सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन) की भर्ती की ज्येष्ठता निर्धारण का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु प्रभारी अधिकारियों से कार्य लिया जा रहा है ।

जी हां । अध्यक्ष द्वारा नहीं वरन् निगम के निदेशक मण्डल की 144 वीं बैठक दि० 13-8-98 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रभारी अधिकारियों के रूप में नियुक्ति औचित्यहीन है ।

अपरिहार्य परिस्थितियों में दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु प्रभारी अधिकारियों से कार्य लिया जा रहा है ।

निदेशक मण्डल की 149 वीं बैठक दिनांक 16-01-2001 में एक समिति गठित की गयी है । इस समिति की संस्तुतियां उपलब्ध होने पर निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० रा०स०प० निगम के इलाहाबाद क्षेत्र में फोरमैनों की प्रोन्नति की मांग

105–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा०स० प० निगम के इलाहाबाद क्षेत्र में वर्तमान में कितने जूनियर फोरमैन ऐसे कार्यरत हैं जो सीनियर फोरमैन की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं ? क्या मंत्री जी ऐसे कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से चोरी किये गये ब्रीफकेस सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का ब्रीफकेस चारबाग, रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) लखनऊ के प्लेटफार्म नम्बर–1 से चोरी हो जाने के संबंध में एफ०आई०आर० दिनांक 11-10-2000 को जी०आर०पी० चारबाग, लखनऊ में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उक्त चोरी की घटना की विवेचना की गई ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

दिनांक 11-10-2000 को प्रश्नकर्ता का ब्रीफकेस चारबाग रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) लखनऊ से चोरी हो जाने के संबंध में थाना जीआरपी चारबाग पर मु०अ०सं० 1914/2000 धारा–379 भा०द०वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना से माल व मुल्जिम का पता नहीं चला । अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट संख्या : 44 दिनांक 31-01-2001 द्वारा समाप्त की गयी ।

जनपद फतेहपुर के जिला सहकारी बैंक लि० के सचिव/महाप्रबन्धक के विरुद्ध पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

107-श्री चन्द्रेश पासवान तथा श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष, कोआपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन, उ०प्र० का पत्र दिनांक 2-7-2000 जो सचिव महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि० फतेहपुर के विरुद्ध कारगिल राहत कोष तथा उड़ीसा तूफान पीड़ित हेतु प्रधान मंत्री राहत कोष में बैंक कर्मचारियों तथा समिति कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि में धांधली करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० इलाहाबाद मण्डल के माध्यम से जांच कराये जाने पर जांच में, प्राप्त धनराशि में धांधली का प्रकरण प्रकाश में नहीं पाया गया । बैंक कर्मचारियों तथा समिति के सचिवों से प्राप्त अंशदान की धनराशि प्रधानमंत्री कार्यालय को बैंक ड्राफ्ट दिनांक 11-7-2000 को भेजा गया । धनराशि भेजने में हुये विलम्ब हेतु संबंधित सचिव/महाप्रबन्धक को चेतावनी दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति शाखा बाराबंकी के श्री रमेश सिंह निलम्बित सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा घोटाले एवं अपहरण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर जांच के आदेश

108-श्री चन्द्रेश पासवान–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक (अधि०) सहकारी समितियां, उ०प्र० लखनऊ ने अपने पत्रांक 8950/अधि०–7/पै० दिनांक जनवरी, 03, 1997 द्वारा श्री रमेश सिंह, निलम्बित सचिव एवं अध्यक्ष साधन सहकारी समिति, सचिव परिषद्, शाखा बाराबंकी द्वारा साधन सहकारी समिति लि० खजुरी एवं अकबरपुर में किये गये घोटाले एवं अपहरण आदि के मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सदस्य, सचिव, जिला प्रशासनिक कमेटी एवं जिला सहायक निबन्धक,

सहकारी समितियां, उ०प्र० बाराबंकी को दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

संदर्भित पत्र पर जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, थाना तिलहर के उप निरीक्षक श्री भगत सिंह का संदर्भित न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

109–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अता०प्र०सं० 71 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भ्र०नि०स०अधिनियम 1988 की धारा–7 व धारा 13(1) (डी) एवं सपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 4-3-2000 को अभियोग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या अभियोजन स्वीकृति के बाद भी उप निरीक्षक सरकारी ड्यूटी पर तैनात है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त उप निरीक्षक को निलम्बित कर अभियोजन की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त उ० नि० को पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली द्वारा इसी प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति से पूर्व दिनांक 18-3-99 को निलम्बित किया गया था जिसे विधिक परीक्षणोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा दि० 9-9-99 को बहाल किया गया । अभियोजन स्वीकृत है । आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय हैं ।

जनपद बरेली, थाना बारादरी के गांव हरूनगला में जहरीली शराब के सेवन की जांच में दोषी के विरुद्ध एन० एस० ए० की कार्यवाही

110 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का जो पत्र दिनांक 9-4-98 जो शासन के पत्र सं० 611 सी०एम०/6-12-98 दिनांक 25-5-98 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है, पुलिस महानिदेशक ने उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की ? उसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

पुलिस महानिदेशक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को संदर्भगत पत्र प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकारी, नगर तृतीय से जांच करायी गयी जांच में पाया गया कि दिनांक 7-3-98 को थाना–बारादरी, बरेली, के गांव हरूनंगला व थाना कैन्ट के गांव भरतौल में जहरीली शराब के सेवन में कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बारादरी, बरेली पर मु०अ०सं० 490/98 धारा–328/304 भादवि

अभियुक्तगण तेजराम एवं राम स्वरूप, निवासीगण हरूनंगला के विरुद्ध अवैध शराब बनाने/बेचने का धन्धा करने के विरुद्ध नामजद पंजीकृत हुआ । इसी प्रकार थाना कैन्ट पर मु०अ०सं० 153/98 धारा-328/304 भादवि तेजराम आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान इन अभियुक्तों के अतिरिक्त अभियुक्त पप्पू, भोले, शीशपाल, गंगा सिंह यादव प्रकाश में आये । इस घटना में लिप्त मुख्य अभियुक्त तेजराम फरार हो गया था जिसने दिनांक 30-4-98 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । अभियुक्तों पर आरोप प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र सं०-295 दि० 9-6-98 को न्यायालय में प्रेषित किया गया । अभियुक्त तेजराम एवं राम स्वरूप जनपद के शराब माफिया है जिनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन० एस० ए०) की कार्यवाही की गयी ।

प्रकरण में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी थाना-किशनी ग्राम कुंवरपुर के निवासी इस्माइल खां की हत्या का मुकद्मा दर्ज करने सम्बन्धी जानकारी

111 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 19-9-2000 को मैनपुरी जनपद के थाना-किशनी में ग्राम–कुंवरपुर के इस्माइल खां पुत्र श्री अमीर खां की हत्या का अभियोग (प्राथमिकि) मु०अ०सं०–230/2000 धारा–302 आई० पी० सी० थाना किशनी में दर्ज हैं ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त मुकदमें में वांछित मुल्जिमों की गिरफ्तारी कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

अभियोग की विवेचना करायी गयी जिसमें नामित अभियुक्त में से अभियुक्त सुभाष चन्द्र, अटलू एवं सूरज सिंह को घटना में शामिल होना नहीं पाया गया । अभियुक्त नरेश द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया है, एवं आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

नामित/वांछित अभियुक्त नरेश द्वारा दि० 26-2-2001 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जा चुका है ।

जनपद लखनऊ ऐशबाग, अम्बेडकर नगर की निवासी श्रीमती सुशीला शर्मा तथा उ० प्र० राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री प्रदीप कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुशीला शर्मा निवासी 268/523/12 आटा मिल के पीछे अम्बेडकर नगर ऐशबाग, लखनऊ एवं प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोकदल उ० प्र० (महिला प्रकोष्ठ) का पत्र दिनांक 28-11-2000 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है जो दिनांक 26-11-2000 को उनके ऊपर प्राण घातक हमले के संबंध में था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच से पाया गया कि दिनांक 26-11-2000 को थाना क्षेत्र बाजारखाला अन्तर्गत श्री अनिल कुमार, ट्रक ड्राईवर एवं श्रीमती सुशीला शर्मा के मध्य वाद विवाद हुआ था एवं चौकी इन्चार्ज ऐशबाग द्वारा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया परन्तु ट्रक ड्राईवर के उत्तेजित

होने पर उनसे धारा 151/107/116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । उक्त प्रकरण विचाराधीन न्यायालय है ।

इस घटना के सम्बन्ध में जुर्म के मुताबिक ही अभियुक्त का चालान किया गया है । श्रीमती सुशीला शर्मा के उक्त शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में समूह 'ग' की सीधी भर्ती में आरक्षण अधिनियम-1994 के प्राविधानों का पालन न किये जाने हेतु तत्कालीन प्रभारी निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के विरुद्ध आरोप-पत्र तथा अनुशासनिक कार्यवाही

113 श्री उदय राज यादव–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद में समूह "ग" की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जाने की शिकायत की जांच उ० प्र० अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ द्वारा किये जाने के उपरान्त दोषी पाये गये तत्कालीन प्रभारी निदेशक को उक्त आयोग द्वारा दिनांक 26-6-2000 को निलम्बित किये जाने की संस्तुति की गई है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन प्रभारी निदेशक को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश' जी–

जी हां ।

जी नहीं ।

समूह "ग" की सीधी भर्ती में आरक्षण अधिनियम-1994 के प्राविधानों का पालन न किये जाने हेतु तत्कालीन प्रभारी निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर विधिवत् अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है । निलम्बन के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाये गये ।

थाना गजनेर, जनपद-कानपुर देहात में अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्बन्धी प्रकरण

114 श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 269/2000 धारा 302/201 आई०पी०सी० थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात में कौन अभियुक्त हैं और उनमें अब तक किन-किन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त मुकदमा के संबंध में वादी द्वारा पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात डी०आई०जी० एवं आई०जी० कानपुर को माह अक्टूबर, 2000 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं निष्पक्ष विवेचना करवाने के शिकायती प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात में वर्ष 2000 में पंजीकृत कुल अपराधों की संख्या 208/2000 है । मु०अ०सं०-269/2000 पंजीकृत नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम जिनौरा थाना-बेवर की घटना सम्बन्धी पंजीकृत मुकद्दमें की कार्यवाही की जानकारी

115-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि थाना बेवर जनपद मैनपुरी में 22/23-9-2000 की ग्राम जिनौरा थाना बेवर की घटना की बाबत मुकदमा अपराध संख्या 397/2000 धारा 307 आई०पी०सी० में पंजीकृत हुआ ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां ।

पंजीकृत अभियोग की विवेचना करायी गयी । विवेचना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के प्रकाश में न आने के फलस्वरूप अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 18-1-2001 को न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

116-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा डा० ज्ञानवती सिंह-

[विरोधिता के आधार पर निरस्त]

117-श्री विजयपाल सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह-

[दिनांक 3-4-2000 को अता० प्र० सं० 103 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा में कार्यरत पात्र बन्दी रक्षकों को पदोन्नति वेतनमान प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

118-डा० वकार अहमद शाह तथा श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में 24 वर्ष से कार्यरत पात्र बन्दी रक्षकों को शासनादेश दिनांक 2-12-2000 के अन्तर्गत पदोन्नति दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां ।

दिनांक 16-2-2001 को दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के थाना आलमबाग, आनन्द नगर बरहा में श्रीमती कृष्ण कुमारी द्वारा किराये पर रहने का अभियोग में विचाराधीन प्रकरण

119-श्री शिव सिंह चक तथा श्री उदय राज यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले सोमवार के अता०प्र०सं०-23 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान नं० 567/99 आनन्द नगर बरहा थाना आलमबाग लखनऊ में श्रीमती कृष्णा कुमारी को मात्र 10x10 की एक दुकान किराये पर दी गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्रीमती कृष्णा कुमारी मकान के पूरे निचले भाग जिसमें चार दुकानें व उसके पीछे का पूरा हिस्सा है, पर अनधिकृत कब्जा करके रह रही हैं ? क्या श्रीमती कृष्णा कुमारी द्वारा पूरे हिस्से का किराया दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

श्रीमती कृष्णा कुमारी के पति श्री रवि प्रकाश को वर्ष 1985 में श्री ओम प्रकाश द्वारा एक कमरा किराये पर 50.00 रुपया प्रति माह पर रहने हेतु दिया गया था । वर्ष 1996 में श्री ओम प्रकाश द्वारा अपने हिस्से के कमरों की ताला चाभी अपने घर जाते समय श्रीमती कृष्णा कुमारी को दे दिया गया था तभी से वह उक्त कमरों में रह रही है ।

प्रश्नगत प्रकरण में श्री ओम प्रकाश की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना आलमबाग पर मु०अ०सं० 51/2000 धारा 448/380/342/323/506/420/120बी भा० दं० वि० विरुद्ध सरनाम सिंह उपनिरीक्षक, श्रीमती कृष्णा देवी, मेवालाल एवं शारदा प्रसाद पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।

यह बिन्दु उक्त अभियोग में विवेचनाधीन है।

प्रकरण विवेचनाधीन है।

जनपद मुरादाबाद थाना बहजोई के दरोगा देवेन्द्र सिंह सहित सात सिपाहियों द्वारा श्रीमती अनीता सिंह के घर से सामान ले जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

120. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना बहजोई जनपद मुरादाबाद के दरोगा देवेन्द्र सिंह एवं सात सिपाहियों द्वारा दिनांक 18-8-2000 को श्रीमती अनीता सिंह गुर्जर पत्नी श्री सुधीर कुमार सिंह, ग्राम ठाठी थाना बहजोई के घर में घुसकर करीब पांच लाख रुपये का सामान ले गये थे ? जिसकी सूचना अनीता सिंह गुर्जर द्वारा दिनांक 21-8-2000 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, शिकायत प्राप्त होने की जानकारी है।

प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद के माध्यम से करायी जा रही है। जांच परिणाम आने पर तथा समय यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के महापुरुष बाबा बैजनाथ कुरील की स्मृति में उनके पैत्रिक गांव स्थापित पुलिस चौकी लल्ला खेड़ा थाना खीरों की बिल्डिंग में हैण्डपाइप, विद्युत लाइन आदि की व्यवस्था

121–श्री उदयराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय अनु०–1 के शासनादेश सं० ए/1503/रा०क०–1/95 दिनांक 14-12-95 शासनादेश सं०–ए/805 सी०एम०–1/96 दि० 1-4-97 व सं० ए/805/ सी०एम०–1 दिनांक 25-5-97 के द्वारा महापुरुष बाबू बैजनाथ कुरील की स्मृति में उनके पैत्रक गांव में स्थापित पुलिस चौकी लल्ला खेड़ा थाना खीरों जनपद रायबरेली की बिल्डिंग में चहारदीवारी, हैण्डपाइप, विद्युत लाइन, टेलीफोन वायरलेस तथा रिपोर्ट करने की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

गृह विभाग अनुभाग–7 द्वारा जारी शासनादेश सं०–1600/6-7-608/95 दिनांक 17 मार्च, 1997 के माध्यम से जनपद रायबरेली के थाना–खीरों की पुलिस चौकी लल्ला खेड़ा के भवन हेतु रु० 4.62 लाख स्वीकृत किये गये थे, जिसके क्रम में उक्त चौकी के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

उक्त चौकी की बिल्डिंग में चहारदीवारी, हैण्डपम्प, विद्युत विषयक कार्य तथा अस्थायी टेलीफोन व वायरलेस की शीघ्र व्यवस्था हेतु पुलिस मुख्यालय को पत्र दिनांक 10-04-2001 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम इलाहाबाद क्षेत्र में जूनियर फोरमैन के स्वीकृत तथा आरक्षित पदों के संबंध में जानकारी

122- श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम इलाहाबाद क्षेत्र में जूनियर फोरमैन के कितने-कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा उसमें कितने पद आरक्षित वर्ग के हैं ? वर्तमान में कितने पद सामान्य तथा कितने पद आरक्षित वर्ग के रिक्त हैं ? क्या उक्त सेवा संवर्ग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित कोटा पूरा है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त संवर्ग के डिप्लोमा धारक निम्न पदों पर तैनात हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा उनकी संख्या कितनी है ? क्या मंत्री जी निम्न पदों पर कार्यरत डिप्लोमा धारकों को प्रोन्नति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

इलाहाबाद क्षेत्र में जूनियर फोरमैन के कुल 38 पद स्वीकृत हैं । इनमें जूनियर फोरमैन, बाडी, टायर तथा विद्युत के एकल पद (कुल 3 पद) को छोड़कर शेष 35 पदों के विपरीत 7 पद आरक्षित वर्ग के होते हैं ।

सामान्य जाति का कोई पद रिक्त नहीं है । आरक्षित वर्ग के 05 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

निचले सेवा संवर्ग में प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर बागपत में उपनिरीक्षक/निरीक्षक के स्थानान्तरण संबंधी जानकारी

123 श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर बागपत में चार वर्षों से अधिक समय से कितने उपनिरीक्षक/निरीक्षक एक ही थाना/कोतवाली में तैनात हैं ? क्या सरकार इन्हें स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

केवल एक उपनिरीक्षक चार वर्ष से अधिक समय से थाना देवबन्द में कार्यरत है । इसके अतिरिक्त उक्त जनपदों में कोई भी निरीक्षक/उपनिरीक्षक चार वर्ष से अधिक समय से तैनात नहीं है ।

उपनिरीक्षक एक जनपद में 6 वर्ष तथा परिक्षेत्र में 12 वर्ष रह सकते हैं । उक्त उपनिरीक्षक दिनांक 31-3-2001 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं । अतः सम्प्रति स्थानान्तरण किया जाना समीचीन नहीं प्रतीत होता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी कर्मचारियों को अवर अभियन्ता का पदनाम प्रदान करने की मांग

124-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी कर्मचारियों को अवर अभियन्ता पदनाम दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त विभाग में अभियंत्रण की अन्य शाखाओं में डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को भी अवर अभियन्ता पदनाम दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में सिविल अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा प्राप्त कार्मिकों को नियुक्ति अवर अभियन्ता पद, वेतनमान रु० 4500-7625, [illegible]-9000 (10 वर्ष बाद) एवं यांत्रिकी शाखा में डिप्लोमा प्राप्त कार्मिकों की नियुक्ति मैकेनिक/जूनियर [illegible]मैन पद, वेतनमान रु० 4500-7000 में होती है । अवर अभियन्ता की प्रोन्नति सहायक अभियन्ता व जूनियर फोरमैन की प्रोन्नति सीनियर फोरमैन के पद पर होती है । दोनों पदों के वेतनमान व प्रोन्नति में भिन्नता होने के कारण अभियंत्रण का अन्य शाखाओं में डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों तथा यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी मैकेनिक व जूनियर फोरमैन पदों का पदनाम बदलकर अवर अभियन्ता किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है ।

कारागार विभाग में लेखा कार्मिकों के पदनाम/वेतनमान आदि के परिवर्तन संबंधी जानकारी

125-श्री धर्मराज निषाद-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग में लेखा कार्मिकों के पदनाम/वेतनमान आदि के परिवर्तन के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या वे०आ०-1-1802/ दस-34(एम)-83 दिनांक 11-8-83 पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं/ तो क्यों ? कार्यवाही न करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मामले में चूंकि वित्तीय उपाशय निहित है अतः परामर्शदात्री विभाग को परामर्श हेतु प्रकरण संदर्भित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी थाना बेवर के निवासी किशनपुर गढ़िया के श्री उपदेश सिंह चौहान के अपराधिक इतिहास का विवरण/ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड में इनके लिप्त होने की जानकारी

126-श्री राम औतार शाक्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अता०प्र०सं० 129 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गैंग लीडर पप्पुआ, नानका एवं उपदेश का

आपराधिक इतिहास का अलग-अलग विवरण क्या है ? क्या उक्त केसों में से कोई अपराधी पूर्व राजस्व मंत्री स्व० श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड के अपराध संख्या 109/98 धारा 302 आई०पी०सी० थाना कोतवाली फर्रुखाबाद के केस में कारागार में निरुद्ध रहा है ? यदि हां, तो कितने दिनों तक ? क्या यह सच है कि उपदेशा का भारी भय व आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार उसकी अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

पपुआ (बृजेन्द्र उर्फ पप्पू) निवासी अहिरवा थाना भोगांव, मैनपुरी, नानका (नानक चन्द्र) निवासी मवदापुर, थाना–बेवर,मैनपुरी तथा उपदेशा (उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा), निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना–बेवर, मैनपुरी का आपराधिक इतिहास का अलग-अलग विवरण संलग्न है ।

उक्त केसों में पूर्व राजस्व मंत्री स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड के अपराध संख्या–109/97 धारा 302/307/120 बी भा० दं० वि० थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान ने दिनांक 21-2-97 को दिल्ली न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिन्हें तिहाड़ जेल में निरुद्ध किया गया । इसके पश्चात् लगभग 5 दिन बाद अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान को सी० बी० आई० द्वारा रिमाण्ड पर लाकर लखनऊ कारागार में निरुद्ध कराया गया । तत्पश्चात लगभग 90 दिन बाद अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान को जमानत पर रिहा किया गया । सी० बी० आई० की जांच से अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान की नामजदगी गलत पाई गयी ।

वर्तमान समय में उपदेश सिंह चौहान का जनपद मैनपुरी में भय व आतंक व्याप्त नहीं है । उपदेश सिंह चौहान के विरुद्ध वर्ष 1997 के बाद वर्ष 2000 तक कोई जघन्य अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है । उपदेश सिंह चौहान के विरुद्ध वर्ष 2001 में मु० अ० सं०–28/2001 धारा 147/323/504/506/427/395 भा० दं० वि० थाना कोतवाली, मैनपुरी पर पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचना के परिणाम के अनुसार यथोचित विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 89-92 पर)

जनपद रायबरेली के थाना फुरसतगंज में राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों की जानकारी

127–श्री विजयपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के फुरसतगंज में राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष एक जनवरी 1996 से 31 दिसम्बर, 98 तक कितने दलित उत्पीड़न के मुकदमें पंजीकृत हुये ? क्या यह सही है कि राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला फुरसतगंज में तैनात सिलाई टीचर शीला द्वारा भी कोई अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पंजीकृत मुकदमें में परगनाधिकारी तिलोई, जनपद रायबरेली से प्रशासनिक जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या इस मुकदमें को वापस ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद रायबरेली के थाना–फुरसतगंज में प्रश्नगत अवधि में दलित उत्पीड़न का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था ।

जी हां । राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, फुरसतगंज में तैनात सिलाई शिक्षिका श्रीमती शीला द्वारा मु० अ० सं०–43/97 धारा–323/504/506 भा० दं० वि० व 7 पीसीआर व 3(1) दस एससी/एसटी ऐक्ट श्रीमती ऐना मेरी पौल, प्रभारी अधीक्षिका व उनके पति के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । जी हां । प्रकरण की प्रशासनिक जांच परगनाधिकारी, तिलोई, रायबरेली से करायी गयी । परगनाधिकारी की

जांच आख्या दिनांक 30-3-1998 में बताया गया है कि सिलाई प्रशिक्षिका ने थाने में दिनांक 7-5-1997 को जो प्राथमिकी दर्ज करायी है, वह सही नहीं है। जी नहीं। प्रश्नगत अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर से कराने पर अपराध प्रमाणित पाये जाने पर श्रीमती ऐना मेरी पोल के विरुद्ध आरोप पत्र दि० 29-7-98 को तथा उनके पति श्री रामसरन रजौरिया के विरुद्ध आरोप पत्र दि० 11-7-1997 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद सहारनपुर व बागपत में प्राप्त सशस्त्र लाइसेंस के आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी

128. श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सहारनपुर व बागपत में एक जनवरी, 99 से एक जनवरी, 2001 तक कुल कितने सशस्त्र लाइसेंस के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ? प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कितनों को शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि जारी किये गये शस्त्र लाइसेंसों में कुछ अपराधी व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत अवधि में जनपद सहारनपुर में कुल 2916 तथा जनपद बागपत में कुल 632 शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं।

उक्त प्राप्त आवेदन-पत्रों में से जनपद सहारनपुर में कुल 966 तथा जनपद बागपत में कुल 443 शस्त्र लाइसेन्स जारी कर दिये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रायबरेली थाना भदोखर के ग्राम उत्तरपारा के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री सुखराज के साथ गांव के लोगों द्वारा की गयी मार-पीट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

129–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री सुखराज पुत्र श्री मंगल (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम उत्तरपारा, थाना भदोखर जिला रायबरेली के साथ उक्त ग्राम के श्री सुखराम पुत्र श्री धुन्नी मौर्य व श्री धुन्नी पुत्र अज्ञात द्वारा दिनांक 28-10-2000 को की गई मारपीट की घटना के संबंध में उनके द्वारा दिनांक 31-10-2000 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गये प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, रायबरेली तथा थानाध्यक्ष थाना भदोखर, जनपद रायबरेली को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत दोनों प्रार्थना-पत्रों की जांच के उपरान्त तथा ए०सी०जे०एम० II रायबरेली के आदेश पर इस प्रकरण में दिनांक 27-11-2000 को मु०अ०सं०–सी–11/2000 धारा 323/504/506 भा०दं०वि० व 3(1)10 एससी/एसटी ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान अभियुक्त सुखराम को दिनांक 4-1-2001 को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे अभियुक्त धुन्नी मौर्य ने दिनांक 7-1-2001 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दि० 8-1-2001 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर थाना जैतीपुर के ग्राम अमरेडी के श्री गजेन्द्र पाल सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस गार्द की व्यवस्था

130–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री माखन सिंह निवासी ग्राम अमरेडी, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर ने दिनांक 16-5-2000 को थाना जैतीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 364 क्राइम नं० 62/2000 दर्ज कराई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही कराकर रिपोर्टकर्ताओं के परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में तात्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के दौरान दलपति तिनकू सिंह, राम भरोसे तथा श्रीपाल के नाम प्रकाश में आये । दि० 1-11-2000 को अभियुक्तगण तिनकू तथा दलपति न्यायालय में हाजिर हुए । अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र दि० 28-1-2001 को न्यायालय प्रेषित किया गया । अपहृत अरुण कुमार दि० 13-6-2000 को छूटकर भाग आया था । ग्राम अमरेडी के पास ग्राम सिगरा गोटिया में पुलिस गार्द लगायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती विन्धेश्वरी देवी पत्नी स्व० श्री राम भरोसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनपद हरदोई की विधवा को पेंशन देने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

131–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी०एम०वि०को एम–37465/हरदोई/2000 जो श्रीमती विन्धेश्वरी देवी, पत्नी स्व० राम भरोसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को विधवा पेंशन देने के संबंध में था प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-9-2000 के साथ सचिव कारागार एवं राजनीतिक पेंशन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में अपेक्षित आदेश दिनांक 28-2-2001 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

132–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सीतापुर के जमौली गांव पंचायत विकास अधिकारी की श्री पैकरमादीन ग्राम प्रधान के साथ हुई मारपीट में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

133–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पैकरमादीन गांव पंचायत विकास अधिकारी जमौली जनपद सीतापुर (अनुसूचित जाति) के साथ ग्राम जमौली के प्रधान गंगासागर मिश्रा तथा अकसोहा

निवासी गुड्डू द्वारा की गयी मारपीट की घटना की रिपोर्ट थाना रेऊसा जनपद सीतापुर में अपराध संख्या–216/2000 धारा 392/332/504/506 एस०सी/3(2) एस०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत दिनांक 22-12-2000 को दर्ज हुई है ? यदि हां, तो मुल्जिमानों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्यवाही में विलम्ब करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । प्रश्नगत घटना के संबंध में थाना रेउसा, जनपद सीतापुर में मु०अ०सं०–216/2000 धारा 392/332/504/506 भा०दं०वि० व 3(2)एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत दिनांक 22-12-2000 को रिपोर्ट दर्ज हुई है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई बार दबिशें दी गयी, परन्तु गिरफ्तारी नहीं हो सकी । गिरफ्तारी न होने के कारण अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 24-1-2001 को धारा 82/83 द०प्र०सं० की कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया । दिनांक 31-1-2001 को मा० न्यायालय से धारा 82 द०प्र०सं० का आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 2-2-2001 को तामील किया गया । अभियुक्त गुड्डू की गिरफ्तारी का स्थगनादेश मा० उच्च न्यायालय से दिनांक 5-2-2001 को एवं अभियुक्त राम सागर मिश्रा का स्थगनादेश दिनांक 14-2-2001 को हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

कार्यवाही में कोई विलम्ब नहीं किया गया है और न तो कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया गया ।

जनपद चन्दौली के चकिया क्षेत्रान्तर्गत सरकारी धान क्रय केन्द्रों में खरीद व भुगतान के पूर्ण विवरण की जानकारी

134–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चन्दौली जनपद के चकिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल कितने सरकारी धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं ? किस-किस क्रय केन्द्र पर कितने-कितने कुन्तल धान की अब तक खरीद की गयी है ? क्रय किये गये धान के सापेक्ष अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और कितनी धनराशि का भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार धान बहुल इस क्षेत्र में सरकारी खरीद की अवधि दो माह तक और बढ़ाने एवं बकाया धनराशि का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में चन्दौली जनपद के चकिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्य विभाग तथा क्रय एजेन्सियों को सम्मिलित करते हुये कुल 11 सरकारी धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं । क्रय केन्द्रवार मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कुल खरीद निम्नवत् है :–

(1) चकिया	12875.81 कुन्तल
(2) सैदपुर	33407.31 कुन्तल
(3) नौगढ़	455.64 कुन्तल
(4) सिकन्दरपुर	3886.45 कुन्तल

(5) उतरौत	2825.70 कुन्तल
(6) सहावगंज	3044.90 कुन्तल
(7) खरोझ	1332.42 कुन्तल
(8) नौगढ	489.00 कुन्तल
(9) मंझगवा	828.60 कुन्तल
(10) रामपुर कला	1449.00 कुन्तल
(11) चकिया	1163.35 कुन्तल
कुल	61,758.18 कुन्तल

कुल 61,758.18 कुन्तल क्रय किये गये धान के सापेक्ष सम्पूर्ण मूल्य कुल रुपये 3,14,96,671.80 पैसे (रुपये तीन करोड़ चौदह लाख छियान्नवे हजार छः सौ इकहत्तर तथा पैसे अस्सी मात्र) का भुगतान किया जा चुका है । किसानों की कोई भुगतान योग्य धनराशि शेष नहीं है । धान खरीद की अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है । मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की आवक कम हो जाने तथा बिचौलियो की सक्रियता को दूर करने के उद्देश्य से धान खरीद दिनांक 16-3-2001 से बन्द कर दी गयी है ।

जनपद मिर्जापुर के ब्लाक नरायनपुर के कोलना साधन सहकारी समिति पर खोले गये क्रय केन्द्रों में धान खरीद भुगतान की जानकारी

135–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मीरजापुर जनपद के नरायनपुर ब्लाक अन्तर्गत कोलना सा०सह० समिति पर खुले सरकारी धान क्रय केन्द्र पर अब तक कुल कितने कुन्तल धान की खरीद की गयी है ? क्रय किये गये धान के सापेक्ष कितनी धनराशि किसानों को भुगतान की गयी है और कितने धनराशि का भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करने एवं धान बहुल क्षेत्र में स्थित प्रश्नगत क्रय केन्द्र पर सरकारी धान खरीद की अवधि दो माह तक और बढ़ाने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मीरजापुर जनपद के नरायनपुर ब्लाक अन्तर्गत कोलना साधन सहकारी समिति पर खोले गये क्रय केन्द्र पर कुल 5850.05 कुन्तल धान की खरीद की गई है । क्रय किये गये सम्पूर्ण धान का मूल्य रुपये 29,83,525.50 (29 लाख 83 हजार 525 रुपये 50 पैसे) का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है । मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये धान के निस्तारण तथा आगामी रबी विपणन वर्ष के गेहूं खरीद की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में अब धान खरीद कार्य और आगे बढ़ाया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की नयी दुकानों के आवंटन पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी जानकारी

137–श्री उदय राज यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की नयी दुकानों के आवंटन पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त नये आवंटन के रोक के पश्चात् प्रदेश में चीनी तथा मिट्टी के तेल की काला बाजारी बढ़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोक को समाप्त कर नये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सरकारी सस्ते गल्ले की नयी दुकानों के आवंटन पर पूर्व में रेडियोग्राम दिनांक 8-2-2000 द्वारा रोक लगायी गई थी ।

जी नहीं ।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटाते हुए प्रदेश के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नई दुकानों की नियुक्ति एवं आवंटन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 4-1-2001 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये जा चुके हैं ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की सौरांव तहसील में स्थित कोल्ड स्टोरेज का चालू कराने सम्बन्धी जानकारी

138–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी०सी०एफ० द्वारा संचालित कितने आलू कोल्ड स्टोरेज बन्द हैं ? क्या जनपद इलाहाबाद की सौरांव तहसील में स्थित कोल्ड स्टोरेज को इस वर्ष चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रदेश स्थित पी० सी० एफ० के सभी (13) शीतगृह बन्द हैं ।

नहीं ।

अनार्थिक होने के फलस्वरूप चलाना सम्भव नहीं है ।

जनपद रामपुर में शिवा पेपर मिल द्वारा खुले नाले से निकलने वाले गन्दे पानी से बढ़ती बीमारियों की रोकथाम सम्बन्धी जानकारी

139–श्री काशीराम–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि शिवा पेपर मिल रामपुर जनपद रामपुर से निकलने वाला गन्दा पानी खुले नाले से बहता है और उससे लगातार घातक बीमारियां मनुष्यों, पशुओं एवं जानवरों को हो रही है । यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल को कहीं दूसरे स्थान पर करने अथवा गन्दे पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध करने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर एवं मुख्य पशु अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स शिवा पेपर मिल द्वारा निकलने वाले पानी से क्षेत्र में कोई बीमारी नहीं फैल रही है ।

उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है । दिनांक 29-12-2000 को किये गये निरीक्षण में निस्तारित उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है । उपर्युक्त स्थिति में उद्योग को सुदूर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है । उद्योग के उत्प्रवाह की निकासी हेतु नाले की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली की जे० के० शुगर मिल से निकलने वाले गन्दे पानी व गैस की उच्च स्तरीय जांच

140–श्री काशीराम–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जे० के० शुगर मिल, जनपद बरेली से निकलने वाला गन्दे पानी व गैस से स्थानीय लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं ? क्या यह सही है कि मिल से निकलने वाला गन्दा पानी जो नाले में जाता है उससे स्थानीय जानवर काफी संख्या में मर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने एवं मिल प्रबन्ध तंत्र व मालिक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जे० के० शुगर मिल, मीरगंज, बरेली में उत्प्रवाह शुद्धीकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है । उद्योग द्वारा शुद्धीकृत औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण अण्डर ग्राउण्ड पाइप द्वारा पीलाखर नदी में ले जाया जाता है तथा बरसाती जल का निस्तारण रोड साइड कच्ची ड्रेन द्वारा निकाला जाता है । शुगर मिल के पानी व गैस से स्थानीय लोगो के प्रभावित होने तथा जानवरों के मरने की पुष्टि नहीं हुई है ।

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 13-1-2001 को उद्योग का निरीक्षण कराया गया निरीक्षण के समय उद्योग का उत्प्रवाह/उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया । पुनः दिनांक 11-4-2001 को उद्योग का निरीक्षण कराया गया और यह पाया गया कि भूमिगत पाइप लाइन दो-तीन जगह टूट जाने के कारण पानी का लीकेज हो रहा है । निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि 40 एचपी की एक पम्प खराब होने के कारण उत्प्रवाह का कुछ भाग कच्ची नाली के माध्यम से सड़क के आस-पास फैल रहा था । उद्योग को पाइप लाइन एवं पम्प को तुरन्त ठीक कराने के निर्देश दिये गये । क्षेत्रीय अधिकारी, बरेली द्वारा दिनांक 14-4-2001 को निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि उद्योग द्वारा पम्प में सुधार कर लिया गया है और पाइप लाइन भी ठीक करा ली गयी है तथा निरीक्षण के समय पानी का लीकेज नहीं पाया गया ।

(श्री अधिष्ठाता महोदय के पीठासीन होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने से सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अम्बिका चौधरी–

प्रदेश बदहाल है, किसानों की बुरी हालत है ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले 301 की सूचनायें ले लेने दीजिए ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री उदयराज यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री श्याम किशोर यादव तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर आदि विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

मैं 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

आज दिनांक 23 अप्रैल, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नांकित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

पहली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है इन्होंने शिक्षा विभाग के समूह ''ख'' से समूह ''क'' की पदोन्नति में वरिष्ठ अनु० जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों के संबंध में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन के संबंध में सूचना दी है । दूसरी सूचना श्री कोकब हमीद की है इन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में सूचना दी है । तीसरी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है इन्होंने जनपद अम्बेदकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पिच करायी गयी सड़कों में मानक के अनुरूप सामग्री प्रयुक्त न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । चौथी सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की है इन्होंने जनपद बांदा के ग्राम लुकतरा एवं ग्राम पथरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण में वर्ष 1998 में लगभग 200 मजदूरों द्वारा किए गये कार्य का भुगतान लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा द्वारा अभी तक न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । पांचवीं सूचना डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी की है इन्होंने वादकारियों के हित में सी०बी०आई० कोर्ट की मेरठ में स्थापना करने के सम्बन्ध में सूचना दी है । छठी सूचना श्री राम नरेश यादव की है जो जनपद आजमगढ़ के कोतवाली फूलपुर थानान्तर्गत ग्राम असयतपुर की दलित बस्ती में बदमाशों द्वारा डाली गयी डकैती से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना श्री अफजाल अहमद की है यह उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से डा० धर्मज्ञ मिश्र की सूचना जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में है । स्वीकार की जाती है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

शिक्षा विभाग के समूह 'ख' से समूह 'क' की पदोन्नति में वरिष्ठ अनु० जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

। मान्यवर, मैं आपका ध्यान शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह के अन्तर्गत समूह "ख" से समूह "क" के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समकक्ष पद वेतनमान रु० 10000-15000 पर पदोन्नति हेतु एक विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करके शासनादेश सं० 2611/15-3-2000-4 (72) 99, दिनांक 29 सितम्बर, 2000 द्वारा पदोन्नति करने हेतु शासनादेश निर्गत हुआ था, के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश शासन (शिक्षा) की विभागीय चयन समिति ने पदोन्नति के समय उ० प्र० शासन द्वारा सभी नियम अधिनियम एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन न करते हुए ज्येष्ठता सूची में 32 वरिष्ठ अनु० जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों (क्रम संख्या-135 से कम क्रम संख्या-274 तक) को प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया तथा सामान्य जाति के 32 कनिष्ठ अधिकारियों को क्रम संख्या 275 तक पदोन्नति कर दिया गया है वंचित वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों द्वारा पदोन्नति हेतु उचित माध्यम से अपने विभाग को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये तथा अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति आयोग उ० प्र० के समक्ष भी लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किया तदनुसार मा० आयोग द्वारा दिनांक 4-12-2000 को निर्णय देकर शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति से वंचित अधिकारियों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पदोन्नति हेतु निर्देश भी निर्गत किये गये, परन्तु शिक्षा विभाग बराबर मामले की टालमटोल करता चला आ रहा है ।

शिक्षा विभाग से न्याय न मिलने के कारण पदोन्नति से वंचित 15 वरिष्ठ अनु० जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों ने मा० उच्च न्यायालय लखनऊ की शरण ली और दिनांक 26-2-2001 डिवीजन बेंच ने शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को आदेश दिया कि क्रम संख्या-135 से लेकर क्रम संख्या-274 तक पदोन्नति से वंचित अनु० जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों को एक विभागीय चयन समिति को आयोजित कर पदोन्नति दी जाय । शिक्षा विभाग के इस उदासीन रवैये के कारण पूरे प्रदेश के अनु० जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों में रोष/क्षोभ व्याप्त है और उनके साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार के कारण प्रदेश की जनता भी आन्दोलित है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है ।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से उक्त अनु० जाति/अनु० जनजाति के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति करने के लिए मांग करता हूं । ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौकब हमीद–

। मान्यवर, प्रदेश भर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अत्यधिक कम होने के कारण प्रदेश की जनता में भयंकर रोष व्याप्त है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति मात्र एक-एक दो-दो घंटे ही हो रही है । कभी-कभी तो 10-15 दिन तक बिजली गुल रहती है । बिजली न आने से किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों की फसल सिंचाई के बिना सूख रही है विद्युत आपूर्ति की समस्या के विरोध में प्रदेश भर में स्थानीय स्तर पर धरने, प्रदर्शन चल रहे हैं अनेक स्थानों पर नागरिक बिजली विभाग के कर्मचारियों का घेराव व बिजली घरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं । बहुत ही

नोटः-। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खेद की बात है कि तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है और सरकार इस गम्भीर समस्या की पूरी तरह अनदेखी कर रही है।

स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है और कभी विस्फोटक रूप धारण कर सकती है।

अतः हम प्रस्ताव करते हैं कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर आज सत्र की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।]

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पिच करायी गयी सड़कों में मानक के अनुरूप सामग्री प्रयुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी आपका ध्यान अति लोक महत्व के प्रश्न पर ले जाना चाहता हूं पूरे प्रदेश में पी० डब्लू०डी० द्वारा जो सड़कें ग्रामीण अंचलों में बनायी जा रही हैं वह कहीं भी मात्रा के अनुसार नहीं है इसी कारण वह कुछ ही समय में टूट जा रही है। इसमें ठेकेदार व अधिकारी अभियन्ता की मिली भगत है इस तरह से विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के अन्तर्गत जो भी पी०डब्लू०डी० द्वारा सड़क बन रही है उसमें न तो मात्रा के अनुसार मिट्टी पड़ रही है न ही मात्रा के अनुसार कुटाई या तारकोल ही डाला जा रहा है चाहे वह सड़क दीनदयाल की हो या शासन से आयी हो या जिस योजना की हो, या स्वर्ण जयन्ती ग्राम की हो। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि निम्न सड़कों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिशासी अभियन्ता तथा ठेकेदार को दण्डित किया जाय जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर निम्न सड़कों की जांच करा कर दण्डित करें तथा सदन में इसकी चर्चा कराये, साथ ही साथ गड्ढा मुक्त सड़कों का सरकार एलान करती हैं जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें गड्ढा मुक्त है, वह निम्न है :–

1–पदुम्पुर से कम्हरिया पिच मांग,

2–पदुमपुर से चौराहे के आगे से देवलर तक पिच मार्ग,

3–पूरनपुर से करौंदे पिच तक पिच मार्ग,

4–राजेसुल्तानपुर साबितपुर मार्ग,

5–जहांगीरगंज से नेवारी होते हुए बकड़ापुर मार्ग,

6–राजेसुल्तानपुर से सिंघल पट्टी होते हुए गढ़वाल तक पिच मार्ग,

7–दुबौलिया विकासपुर से तरेम, लालमनपुर पिच मार्ग, आदि सड़के।]

जनपद बांदा के ग्राम लुकतरा एवं ग्राम पथरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मंगदरों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा द्वारा अभी तक न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा द्वारा ग्राम लुकतरा सम्पर्क मार्ग व ग्राम पथरी सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु माह जून व

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जुलाई वर्ष 98 में ग्राम पथरी के 200 मजदूरों को काम पर लगाया गया था सभी मजूदरों द्वारा 23 दिन मजदूरी करने के पैसे मांगे जाने पर अवर अभियन्ता द्वारा मजदूरों को पैसा देने से मना कर दिया गया जिसकी शिकायत मजदूरों ने जिलाधिकारी बांदा से दिनांक 12-5-99 को व आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा से दि० 1-9-99 को की किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी तदुपरान्त मजदूरों ने तत्कालीन राज्य मंत्री ऊर्जा से मिलकर दिनांक 21-12-99 को प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर पत्र सं०–277/रा०म०ऊ०/99 दि० 21-12-99 भेजकर प्रमुख सचिव लो०नि०वि० उ० प्र० से मजूदरी भुगतान का मा० राज्य मंत्री ने आदेश दिया किन्तु मजदूरों को अभी तक मजदूरी नहीं मिल सकी है ।

अतः श्रीमान जी से आग्रह है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें । ।

वादकारियों के हित में सी०बी०आई० कोर्ट को मेरठ में स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, प्रदेश की सी०बी०आई० कोर्ट अभी तक देहरादून में स्थित है । देहरादून अब उत्तरांचल राज्य की राजधानी हो गया है । स्पष्ट है कि उचित होगा कि प्रदेश के लिये उपरोक्त सक्षम न्यायालय उत्तर प्रदेश में होना चाहिये । वादकारियों को मेरा अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए समुचित निर्णय करते हुये सी०बी०आई० कोर्ट की मेरठ में स्थापना की मांग करता हूं ।]

जनपद आजमगढ़ के कोतवाली फूलपुर थानान्तर्गत ग्राम असपतपुर की दलित बस्ती में बदमाशों द्वारा डाली गयी डकैती से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

महोदय, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं दिनांक 18/19 मार्च की रात में हथियारों से लैस डकैत मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव के दलित बस्ती में घुसे एवं धावा बोलकर कई घरों में लूटपाट की शोर होने पर गांव वालों के प्रतिरोध करने पर उन्होंने अंधाधुन्ध गोली चलाकर हरीश चन्द्र उर्फ चन्दू की हत्या कर दी एवं कई लोगों को घायल कर दिया । कुछ की हालत आज भी गम्भीर है । कोई सामान घर में नहीं बचा गांव में पूरा कोहराम मचा है भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है लोग सहमें हुए हैं । इस घटना की जितनी निन्दा की जायं उतनी कम है । मैं 19-4-2001 को सबसे पहले गांव में पहुंचा था सारी घटना की जानकारी की मृतक एवं घायल लोगों के परिवार से भी बात भी की और अस्पताल भी गया था । आज तक स्थानीय पुलिस कुछ पता नहीं लगा सकी है । गांव के लोगों की इस बात की आशंका है कहीं पुनः कोई अप्रिय घटना न घट जायें । मेरी मांग है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पी०ए०सी० तैनात की जायें । प्रशासन सक्रिय होकर अपराधियों को पता लगाकर उन्हें पकड़ कर जेल भेजे गांव के लोगों को हथियार के लिये लाइसेंस दे । मृतक परिवार को 2 लाख तथा घायलों को इलाज के लिये 50 हजार रुपये की व्यवस्था करें तथा लूटे गये परिवार की क्षतिपूर्ति की जायें एवं भुक्तभोगी परिवार की रक्षा के लिये सुरक्षात्मक व्यवस्था की जायें । ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[महोदय, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां क्षेत्र में जन जीवन की रक्षा हेतु साठ हजार आबादी वाले नगरपालिका परिषद मल्लावां में एक 30 बेड अस्पताल की स्थापना अति आवश्यक है । इसी प्रकार हमारे विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पंचायत गंज जलालाबाद में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा बिलग्राम विकास खण्ड के ग्राम पंचायत सड़ियापुर में एक प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय तथा विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम मटियामऊ में तथा ग्राम पंचायत मनकापुर बंगल में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की परम आवश्यकता है यह चारों ग्राम पंचायतें बड़ी आबादी वाली हैं तथा 5 कि०मी० की परिधि में कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है तथा मल्लावां ब्लाक हेड क्वाटर भी है और नगरपालिका परिषद है इसलिए भी सामुदायिक केन्द्र तीस बेड का अस्पताल मल्लावां नगरपालिका परिषद में तथा मुल्लापुर भगत एवं मटिया मऊ एवं गंज जलालाबाद तथा सढ़ियापुर में अस्पताल खोलकर जनता के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराने हेतु सरकार व्यवस्था करें । चूंकि यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है और सीधे जनता के जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ है । इसलिए सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है । जनहित में शासन उक्त स्थानों पर अस्पताल स्थापित करने के आदेश कर दें जिससे जनता को समय से जीवन रक्षा हेतु समुचित व्यवस्था हो सके ।]

नियम–311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह किसानों की समस्या है । आज किसान भूखमरी की कगार पर आ गये हैं....

श्री अधिष्ठाता–

पहले जो सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े है वह अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सद्रन के फ्लोर पर खड़े सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है । इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने एक मंत्री के खिलाफ सी० बी० आई० जांच के लिए कहा भी है.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी पहले मेरी बात सुन लें । आप पहले कृपया बैठ जायें । माननीय अम्बिका जी आप भी कृपया बैठ जायें और मेरी बात सुन लें ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, ऐसे मंत्रियों को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए । यदि वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो मुख्य मंत्री जी को तत्काल ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए ।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस प्रदेश की 85 प्रतिशत की आबादी किसानों की है और उनकी जो समस्या है वह इस प्रदेश की ज्वलन्त समस्या है । मान्यवर, नियम–311 में हमने सूचना दी थी....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी एवं माननीय चौधरी जी मैंने आपसे अनुरोध किया है कि पहले मेरी बात सुन लें । नियम-300 की तीन सूचनाएं हैं पहले हम उसे ले लेते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 311 की सूचना आप कब लेंगे ?

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

पहले नियम–300 की सूचना हो जाने दीजिए । उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं वह हम सुन लेंगे ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं का स्थगन

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम–300 की सूचनायें स्थगित की जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग 2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2001 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2001 को प्राप्त हो गई, और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2001 को प्राप्त हो गई, और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का पांचवा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2001 के उपवेशन में पारित

किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2001 को प्राप्त [illegible] और [illegible] सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने आसन पर वापस जायें ।

(घोर व्यवधान)

1.00 बजे तक के लिये सदन स्थगित किया जाता है ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 12 बजकर 32 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें ।

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है ।

मद संख्या 5 में कुछ नहीं है, मद संख्या 6 ले रहा हूं ।

(विपक्ष के कुछ सदस्य सदन के वेल में आकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 20 अप्रैल, 2001 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 23 अप्रैल से 1 जून, 2001 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को प्रश्नकाल के पश्चात् निधन के निर्देश हों ।

2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की तिथियों में नियम 56 तथा नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायें ।

3–सदन का दिनांक 23 अप्रैल से 1 जून, 2001 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

अप्रैल, 2001

23 सोमवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
24 मंगलवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा । (2) 5.00 बजे अपराह्न से निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण– (1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001–आधा घंटा । (2) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001–आधा घंटा ।

25 बुधवार

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

(2) 5-00 बजे अपराह्न से

विधायी कार्य ।

26 गुरुवार

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन) ।

27 शुक्रवार

(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) ।

(2) विधायी कार्य (आधा दिन) ।

(3) (क) नियम–103 के अन्तर्गत श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय ।"

(ख) नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

(ग) नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, तथा (.....) सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पालीथीन बैग्स के कारण जन-स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुये प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगायी जाय ।"

28 शनिवार

बैठक नहीं होगी ।

29 रविवार

30 सोमवार

(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

(2) 5-00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

मई, 2001

---

1 मंगलवार

2 बुधवार

3 गुरुवार

4 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

5 शनिवार		
6 रविवार		
7 सोमवार	(बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश)	
8 मंगलवार	(हनुमान जी का मेला का अवकाश)	
9 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।	
10 गुरुवार		
11 शुक्रवार	असरकारी दिवस	(आधा दिन-आधा दिन 4 मई, 2001 के स्थान पर)
12 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।	
13 रविवार		
14 सोमवार		
15 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।	
16 बुधवार		
17 गुरुवार		
18 शुक्रवार		
19 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।	
20 रविवार		

मई, 2001

21 सोमवार		
22 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।	
23 बुधवार		
24 गुरुवार		
25 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस ।	(आधा दिन-आधा दिन 18 मई, 2001 के स्थान पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(2) 5-00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

26 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
27 रविवार	
28 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
29 मंगलवार	
30 बुधवार	
31 गुरुवार	

जून, 2001

1 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 4-00 बजे अपराह्न से

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम०काम)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबू राम, एम०काम०–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम,एम०काम)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबू राम, एम०काम०–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल से लगातार अपनी-अपनी बात कहते रहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायें, तो मैं आपकी बात सुनूंगा ।

(सदस्यों द्वारा वापस न जाने पर)

मैं सदन की कार्यवाही 1.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 8 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित किया । 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता जी, नियम–311 के अन्तर्गत माननीय नेता विरोधी दल तथा दूसरे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना दी गयी थी ...

श्री अधिष्ठाता–

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 23 अप्रैल, 2001 को चूंकि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होना है इसलिये इस दिन नियम 311 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी । आप कृपया बैठें । अब मैं मद सं०–12 ले रहा हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 20 मार्च, 2001 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 23-4-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, प्रदेश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है–वक्तव्य हेतु स्वीकृत । दूसरी सूचना डा० पूर्णमासी पंकज की है, प्रदेश में नदियों पर बने बहुत पुराने एवं छोटे पुलों पर लगने वाले पथकर की अब तक वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत । तीसरी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की, लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण फर्जी तरीके से किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत । चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है–राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के दस हजार पदों को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में–केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत । पांचवीं सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की –प्रदेश में संचालित बस, टैम्पो आदि से वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभावों के संबंध में है–केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत । छठी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की–जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत की स्थापना के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । सातवीं सूचना श्री संजय गर्ग की है–जनपद सहारनपुर में मैदा मिल रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में–ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत और आठवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, बांदा में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में है–ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

अब हम उठते हैं, कल 24-4-2001 को 11.00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

दिनांक 23 अप्रैल, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के पहले सोमवार के लिए पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 के लिए अनुपूरक सामग्री

अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 जिसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया एवं पुनः वर्ष 1998 में संशोधित किया गया, के माध्यम से अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना की गयी थी ।

अधिनियम की धारा 3 में इस निधि की स्थापना का उद्देश्य निम्न प्रकार रखा गया :-

(1) 60 वर्ष की अवस्था तक के अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा की पालिसी प्राप्त करना ।

(2) जिले के बार एसोसियेशन को बिल्डिंग हाल, लाइब्रेरी, कैन्टीन, शेड आदि की व्यवस्था करना या इन व्यवस्थाओं के लिए इन बार एसोसियेशनों को अनुदान देना ।

(3) अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना ऐसे अधिवक्ताओं के लिए संचालित करना जो इसके सदस्य बनना चाहें ।

(4) अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अन्य योजनाओं को संचालित करने तथा न्यासी समिति के अभिमत में अधिवक्ताओं का कार्य में सुधार के लिए ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करना जिन्हें वह आवश्यक समझें ।

अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उक्त योजनाओं को संचालित करने के लिए जो निधि स्थापित की गयी उस निधि का संचालन करने हेतु एक न्यासी समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया :-

(क)	महाधिवक्ता	पदेन अध्यक्ष
(ख)	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बार कौन्सिल	सदस्य
(ग)	उत्तर प्रदेश बार कौन्सिल द्वारा नामित 2 सदस्य	सदस्य
(घ)	प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी	सदस्य सचिव

अधिनियम की धारा-3 की उप धारा-5 के अनुसार न्यासी समिति तथा अधिनियम की निकाय है ।

निधि के आय के स्रोत निम्न प्रकार है :-

(1) अधिवक्ताओं के कल्याणकारी स्टैम्प की बिक्री से प्राप्त आय

(2) उत्तर प्रदेश बार कौन्सिल द्वारा दिया गया कोई अनुदान

(3) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान

(4) न्यासी समिति की आय पर उत्पन्न ब्याज

(5) सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के सदस्यों द्वारा दी गयी प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक चन्दे की धनराशि ।

अधिनियम की धारा 9 में यह प्राविधान किया गया कि प्रत्येक अधिवक्ता अपने द्वारा स्वीकृत वकालतनामे पर 5 रुपये का अधिवक्ता कल्याण निधि स्टैम्प लगायेगा और कोई भी न्यायालय बिना उक्त स्टैम्प के कोई वकालत-नामा स्वीकृत नहीं करेगा ।

अधिवक्ता कल्याण निधि स्टैम्पों की छपाई बार कौन्सिल द्वारा करायी जायेगी और राज्य सरकार द्वारा उनका वितरण तथा बिक्री नियन्त्रित किया जायेगा अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के बनने वाले सदस्य अधिवक्ताओं को निधि से निम्न प्रकार भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है :–

(I) किसी सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी या उसके नामांकिती को उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 5,000 की दर आगणित धनराशि जिसकी न्यूनतम सीमा 25,000 रु० तथा अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये होगी ।

(II) ऐसे सदस्य जिनकी सदस्यता उनकी सदस्यता के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त किन्तु 25 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने के पूर्व समाप्त हो जाती है उन्हें उनकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आगणित धनराशि ।

(III) यदि किसी सदस्य की सदस्यता 25 वर्ष की अवधि के पश्चात् समाप्त होती है तो उसे उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आगणित धनराशि जिसकी अधिकतम सीमा रु० 15,000 होगी ।

(IV) यदि किसी सदस्य की सदस्यता उपरोक्त स्थितियों के अतिरिक्त समाप्त होती है तो उसके द्वारा वार्षिक चन्दे के रूप में दी गयी समस्त धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी और उस पर न्यासी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित साधारण ब्याज भी देय होगा ।

अधिनियम की धारा 3 में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना भी लागू की गयी है और ऐसे अधिवक्ता जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व ही दिवंगत हो चुके हैं उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 50,000 रुपये का व्यवस्था की गयी है ।

इस प्रकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कतिपय योजनायें चलाई जा रही है जिनका संचालन न्यासी समिति द्वारा किया जाता है । जहां तक अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पेन्शन एवं प्राविडेण्ट फण्ड की व्यवस्था का प्रश्न है । चूंकि अधिवक्ता सरकारी सेवक नहीं है अतः उनके लिए सरकार द्वारा पेन्शन एवं प्राविडेण्ट फण्ड की व्यवस्था कर सकना सम्भव नहीं है ।

जहां तक चिकित्सकीय सहायता का प्रश्न है चिकित्सकीय सहायता देना या न देने का बिन्दु न्यासी समिति का ही विचार का बिन्दु है शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अना० प्र० सं० 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अना० प्रश्न संख्या-72 के संदर्भ में आगरा जनपद में दिनांक 20-12-97 से 20-12-2000 तक अपहरण, राहजनी, डकैती, हत्याओं तथा बलात्कार का विवरण।

क्र०सं०	अपराध शीर्षक	20-12-97 से 31-12-97 तक	1-1-98 से 30-12-98 तक	1-1-99 से 31-12-99 तक	1-1-2000 से 20-12-2000 तक
1	अपहरण	–	137	140	136
2	राहजनी	07	128	81	115
3	डकैती	03	48	25	17
4	हत्या	04	155	135	126
5	बलात्कार	02	39	36	41

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर ।)

पुलिस अधीक्षक,

रायबरेली ।

कृपया अपने पत्रांक : एमटी/कैम्प–शासन–109/2000, दिनांक 22-12-2000 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सचिव, मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन के पत्र संख्या–एम०पी०को०/एम०–139568/2000 दिनांक 22-11-2000 के माध्यम से प्राप्त श्री अब्दुल गफ्फार उर्फ लाला पुत्र फारूख निवासी पूरे जमादार मजरे बहतई थाना नसीराबाद रायबरेली के शिकायती प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों/आरोपों की जांच कर आख्या भेजने विषयक है ।

आरोप :–

आवेदक तथा उसके परिवार एवं रिश्तेदारों के विरुद्ध थाना नसीराबाद में मु०अ०सं०–126/2000 धारा 147/307/504/506/452 भा०दं०वि० व 3(1)10 एससीएसटी–अधि०, मु०अ०सं०–127/2000 धारा 504/506/384 भा०दं०वि० व 3(1)10 एससीएसटी–अधि०, व मु०अ०सं०–128/2000 धारा 147/148/149/323/504/384 भा०दं०वि० का फर्जी अभियोग पंजीकृत करके परेशान करने आदि आरोपों का उल्लेख किया गया है ।

जांच :–

उपरोक्त सन्दर्भ में मेरे द्वारा जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 20-10-2000 को वादी श्री झुरही कोरी पुत्र करीम नि० पूरे खटाना मजरे बहतई थाना नसीराबाद रायबरेली ने थाना नसीराबाद में मु०अ०सं०–126/2000 धारा 147/323/504/506/452 भा०दं०वि० व 3(1)10 एससीएसटी–अधि० बनाम लाला उर्फ गफ्फार पुत्र फारूख साबिर पुत्र फारूख, बबलू उर्फ मुजफ्फररुद्दीन, पुत्र फारूख, हब्बू पुत्र सोहराब इम्तियाज पुत्र सत्तार, लाल बाबू पुत्र बशीर, गुड्डन उर्फ कमल चन्द्र पुत्र सत्तीदीन पासी आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर द्वारा आरोप पत्र संख्या–39 दिनांक 16-12-2000 के चालान न्यायालय किया गया है ।

दिनांक 20-10-2000 को ही वादी श्री राम लखन कोरी पुत्र राम हर्ष नि० पूरे जमादार मजरे बहतई थाना नसीराबाद ने आवेदक लाल उर्फ गफ्फार पुत्र फारूख साबिर पुत्र फारूख, बबलू उर्फ मुजफ्फररुद्दीन पुत्र फारूख, लाल बाबू पुत्र बशीर के विरुद्ध मु०अ०सं०–127/2000 धारा 504/506/384 भा०दं०वि० व 3(1)10 एससीएसटी–अधि०थाना नसीराबाद में पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना मुझ क्षत्राधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी । बाद विवेचना सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर द्वारा आरोप-पत्र संख्या–37 दिनांक 7-12-2000 को चालान न्यायालय किया जा चुका है ।

दिनांक 21-10-2000 को वादी को शिव मोहन पुत्र दशरथ सिंह नि० पूरे रानी साहिदा मजरे मऊ थाना डीह, रायबरेली से आवेदक श्री लाला उर्फ गजफ्फर पुत्र फारूख, साबिर पुत्र फारूख, बबलू पुत्र फारूख, मो० जफर अहमद पुत्र रज्जाक, फारूख अहमद पुत्र रज्जा, ददन पुत्र समद, मो० शेर पुत्र

शमद, कमल चन्द पुत्र सत्तीदीन व जुम्मन पुत्र यासीन, मो० नई पुत्र मोहर्रम अली व लाल बाबू पुत्र बशीर आदि के विरुद्ध मु०अ०सं०–128/2000 धारा 147/148/149/323/504/384 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत कराया गया । जिसकी विवेचना थाना नसीराबाद के उ० नि० श्री पी० के० तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना से सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र संख्या–70 दिनांक 29-11-2000 को व 700 दिनांक 6-12-2000 के द्वारा चालान न्यायालय किया गया ।

जांच से आवेदन द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप कि आवेदन व उसके परिवार एवं रिश्तेदारों के विरुद्ध फर्जी अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं, सत्य नहीं पाया गया । क्योंकि उपरोक्त अभियोगों में मु०अ०सं०–126/2000 व 127/2000 की विवेचना मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी है और पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दोनों में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है । आवेदक द्वारा आरोप मात्र उसके व उसके परिवार एवं रिश्तेदारों के विरुद्ध पंजीकृत कराये गये अभियोगों में पेशबन्दी में लगाये गये हैं । विपक्षी राजेश व सन्त लाल के दबाव में अभियोग पंजीकृत कराये जाने का आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुआ है । इस स्तर से अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

आख्या सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है ।

संलग्नक : मूल प्रार्थना-पत्र सहित ।

दिनांक : दिसम्बर, 30, 2000

ह०/रश्मि श्रीवास्तव
क्षेत्राधिकारी, सलोन,
रायबरेली ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अना० प्र० सं०–126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर।)

अपराधिक इतिहास नानक चन्द्र पुत्र हरी राम शाक्य, निवासी मदनपुर थाना बेवर, मैनपुरी

क्र०सं०	अ० सं० व धारा	थाना	जनपद
1	2	3	4
1	अ० सं०–100/89 धारा 323/325 भादवि	बेवर	मैनपुरी
2	अ० सं०–77/94 धारा 307/504 भादवि व 3(2)5 एससी०/एसटी० एक्ट	बेवर	मैनपुरी
3	अ० सं०–340/95 धारा 364 भादवि	बेवर	मैनपुरी
4	अ० सं०–342/97 धारा 304/504 भादवि	बेवर	मैनपुरी
5	अ० सं०–425/97 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट	बेवर	मैनपुरी
6	अ० सं०–निल/97 धारा 364/302/201 भादवि	बेवर	मैनपुरी
7	अ० सं०–237/2000 धारा 3 यू०पी० गुण्डा एक्ट	बेवर	मैनपुरी
8	अ० सं०–319/2000 धारा 419/406/506 भादवि	बेवर	मैनपुरी

अपराधिक इतिहास विजेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र नरेन्द्र सिंह नि० अहिरवा थाना भोगांव, मैनपुरी

क्र०सं०	अ० सं० व धारा	थाना	जनपद
1	2	3	4
1	अ० सं०–390/95 धारा 506/504 भादवि व 5(2)10 एससी०/एसटी० एक्ट	भोगांव	मैनपुरी
2	अ० सं०–324/96 धारा 395/397 भादवि	भोगांव	मैनपुरी
3	अ० सं०–524/99 धारा 110 जी	भोगांव	मैनपुरी
4	अ० सं०–967/99 धारा 302 भादवि	कोत०	मैनपुरी
5	अ० सं०–67/2000 धारा गुण्डा एक्ट	भोगांव	मैनपुरी

अपराधिक इतिहास उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा पुत्र बाबू सिंह निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, मैनपुरी

क्र०सं०	अ० सं० व धारा	थाना	जनपद
1	2	3	4
1	अ० सं०–62/75 धारा 147/148/307 भादवि	बेवर	मैनपुरी
2	अ० सं०–125/75 धारा 392 भादवि	"	"
3	अ० सं०–135/75 धारा 394 भादवि	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
4	अ० सं०–13/77 धारा 307 भादवि	बेवर	मैनपुरी
5	अ० सं०–57/80 धारा 302 भादवि	,,	,,
6	अ० सं०–58/80 धारा 279/337/429 भादवि	,,	,,
7	अ० सं०–335/81 धारा 353/504/506 भादवि	,,	,,
8	अ० सं०–169/82 धारा 147/323/342 भादवि	,,	,,
9	अ० सं०–179/82 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
10	अ० सं०–183/82 धारा 188 भादवि	,,	,,
11	अ० सं०–262/82 धारा 394 भादवि	,,	,,
12	अ० सं०–187/74 धारा 307 भादवि	,,	,,
13	अ० सं०–133/75 धारा 147/148/323 भादवि	,,	,,
14	अ० सं०–139/84 धारा 420/467/468 भादवि	,,	,,
15	अ० सं०–149/84 धारा 420/467/468 भादवि	,,	,,
16	अ० सं०–69/84 धारा 394 भादवि	,,	,,
17	अ० सं०–111/84 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	,,	,,
18	अ० सं०–298/84 धारा 135 लो० प्रति० अधि०	,,	,,
19	अ० सं०–184/84 धारा 394 भादवि	,,	,,
20	अ० सं०–297/84 धारा 136(2) लो० प्रति० अधि०	,,	,,
21	अ० सं०–248/84 धारा 136(2) लो० प्रति० अधि०	,,	,,
22	अ० सं०–35/85 धारा 420/406 भादवि	,,	,,
23	अ० सं०–24/86 धारा गैंगेस्टर ऐक्ट	,,	,,
24	अ० सं०–211/86 धारा एन० एस० ए०	,,	,,
25	अ० सं०–304/86 धारा 147/148/149/307 भादवि	,,	,,
26	अ० सं०–305/86 धारा 25/27 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
27	अ० सं०–4/87 धारा 302 भादवि	,,	,,
28	अ० सं०–312/80 धारा 147/352/504/506 भादवि	,,	,,
29	अ० सं०–24/87 धारा एन०एस०ए०	,,	,,
30	अ० सं०–210/87 धारा 3/4 जी० ऐक्ट	,,	,,
31	अ० सं०–211/87 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
32	अ० सं०–34/88 धारा 147/148/149/427/307	भोगांव	मैनपुरी
33	अ० सं०–352/89 धारा 135/136/(2) लो०प्रति०अधि०	बेवर	,,
34	अ० सं०–154/90 धारा 3/4 जी० ऐक्ट	,,	,,
35	अ० सं०–253/89 धारा 135/136(2) लोप्रति०अधि०	,,	,,
36	अ० सं०–155/90 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
37	अ० सं०–153/90 धारा 393 भादवि	,,	,,
38	अ० सं०–128/90 धारा 364 भादवि	भोगांव	,,
39	अ० सं०–123/90 धारा 364 भादवि	कोत०	,,
40	अ० सं०–184/91 धारा 352/504/506 भादवि	बेवर	,,
41	अ० सं०–195/92 धारा 147/323/504/506 भादवि	,,	,,
42	अ० सं०–146/91 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट	,,	,,
43	अ० सं०–211/91 धारा 110 सीआरपीसी	,,	,,
44	अ० सं०–505/93 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	,,	,,
45	अ० सं०–72/94 धारा 506 भादवि	,,	,,
46	अ० सं०–42/95 धारा 395 भादवि	,,	,,
47	अ० सं०–479/94 धारा 147/148/149/302 भादवि	भोगांव	,,
48	अ० सं०–70ए/96 धारा 147/148/149/302 भादवि	कुर्रा	,,
49	अ० सं०–153ए/96 धारा 147/148/149/302 भादवि	भोगांव	,,
50	अ० सं०–457/95 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	बेवर	,,
51	अ० सं०–378/96 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट	,,	,,
52	अ० सं०–109/77 धारा 302/307/120 बी० भादवि	कोत०	फर्रूखाबाद
53	अ० सं०–139/96 धारा 435 भादवि	बेवर	मैनपुरी
54	अ० सं०–343/97 धारा 392/342/506 भादवि	,,	,,
55	अ० सं०–363/97 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट	,,	,,
56	अ० सं०–199/97 धारा 147/148/149/307 भादवि	स्वरूप नगर	कानपुर नगर
57	अ० सं०–200/97 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट	,,	,,
58	अ० सं०–282/97 धारा 364 भादवि	कोत०	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
59	अ० सं०–566/97 धारा 110 सी०आर०पी०सी०	बेवर	मैनपुरी
60	अ० सं०–212/97 धारा 3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट	स्वरूप नगर	कानपुर नगर
61	अ० सं०–673/97 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट	बेवर	मैनपुरी
62	अ० सं०–59/98 धारा एन०एस०ए०	,,	,,
63	अ० सं०–87/98 धारा 420 भादवि	अलीगंज	लखनऊ
64	अ० सं०–680/99 धारा 188/171 जी भादवि	बेवर	मैनपुरी
65	अ० सं०–427/2000 धारा 110 जीसीआरपीसी	,,	,,
66	अ० सं०–28/2001 धारा 147/323/504/506/427/395 भादवि	कोत०	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल 184 विधान सभा (301) 2001 813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।